राजस्थान विधान सभा

४८ वीं बैठक, मङ्गलवार, दिनांक—३ अगस्त, सन् १९५४ ई.

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८ बजकर ७ मिनट
(मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न–श्री हरिकृष्ण व्यास ।

प्रश्न संख्या १२६२

गंगानगर शुगर मिल को चलाने के लिए ३०-६-५४ तक शासकीय
व्यय इत्यादि

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to answer :—

(a) What is the total amount so far spent by the State Government upto 30-6-54 for purposes of running the Ganganagar sugar Mills ?

(b) What is the total amount credited to Government account as sale proceeds of sugar produced in the Mill till 30-6-54 ;

(c) What is the stock of sugar and cane with the Mills as on 30-6-54 ?

(d) What are the other liquid assets with the mills as on 30-6-54 ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) Rs. 7,50,000/-

Page No.2

[श्री जयनारायण व्यास]

(b) Rs. 14,42,626/8/-

(c) a. 11,726 maunds of sugar.
b. sugarcane-nil.

(d) Other liquid assets excluding sugar :—

a.	stock of alcohol	Rs. 20,000/-
b.	stock of molasses	Rs. 32,000/-
c.	Indian made foreign Liquors.	Rs. 8,000/-
		60,000

श्री हरिकृष्ण व्यास— Has the balance sheet for this year been drawn ?

श्री जयनारायण व्यास— It is nnder preparation.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस बात की जाँच की है कि उक्त कारखाना घाटे में चल रहा है या मुनाफे में चल रहा है ?

श्री जयनारायण व्यास—बेलेन्स शीट तो तैयार नहीं हुआ है, लेकिन जांच से यह मालूम पड़ता है कि कारखाना मुनाफे में चल रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि एकाउन्टेन्ट जनरल ने अपने एक कर्मचारी को इस कारखाने के एकाउन्ट्स की जांच करने के लिए भेजा ?

श्री जयनारायण व्यास—एकाउन्टेन्ट जनरल क्या करता है और क्या नहीं करता यह प्रश्न यहाँ पैदा नहीं होता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस कारखाने के एकाउन्ट्स एकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा जांच कराये गये ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने पहले कहा कि एकाउन्टेन्ट जनरल क्या करता है और क्या नहीं करता, हमें मालूम नहीं; यह तो वही बता सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस कम्पनी के प्रोपराइटरों को भी इस बात का पता नहीं है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह तो एकाउन्टेन्ट जनरल कह सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या एकाउन्ट्स की जाँच की गई अथवा नहीं ?

श्री जयनारायण व्यास—बेलेन्स शीट तैयार नहीं हुई है, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उपरोक्त जाँच की रिपोर्ट भी पहुँच चुकी है ?

श्री जयनारायण व्यास—मेरे पास नहीं आई, इसलिए मैं नहीं कह सकता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस कम्पनी के हिसाब-किताब की जांच पर अधिकारियों ने १ लाख से अधिक का घाटा बताया ?

श्री अध्यक्ष—The question does not arise.

श्री जयनारायण व्यास—The question does not arise.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—एकाउन्टेन्ट जनरल के बारे में प्रश्न यहाँ नहीं पूछे जावें तो इसके बारे में किस प्रकार जानकारी हासिल की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—एक प्रश्न रह गया है :

जो कुछ रुपयों का फायदा हुआ है, उसमें से कुछ मिल के मालिक को भी कुछ दिया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—बेलेन्स शीट ही तैयार नहीं हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—आपने बताया कि इतने रुपयों की आमदनी हुई और इतने रुपये खर्च हुए..........

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य प्रश्न के उत्तर को अच्छी तरह समझ नहीं पाये हैं। मैंने यह बताया कि गवर्नमेंट के क्रेडिट में कितने आये ? सात लाख में से जो हैं उनमें से लीज़ के देने होंगे वे जरूर निकलेंगे लेकिन अन्त में जाकर फायदा होगा, इसका जवाब मैंने दिया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—मेरा सवाल यह है कि मिल मालिकों को, प्रोप्राइटर्स को कुछ दिया गया या नहीं ?

Page No.4

श्री जयनारायण व्यास—अभी कुछ नहीं दिया गया है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—लिकर वगैरह कितनी वेल्यु का है और वह स्टॉक में है ?

श्री जयनारायण व्यास—सात हजार का बताया।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—'सात हजार' गेलन है या रुपया।

श्री जयनारायण व्यास—इसके लिए अलग से प्रश्न की आवश्यकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लायबिलिटी ओन डिबेन्चस (liability on debentures) के रूप में कितनी रकम दी गई ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी कोई बात तय नहीं हुई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कम्पनी के डिप्रिसियेशन के सम्बन्ध में कितना कम्युटेशन (Computation) दिया है ?

श्री जयनारायण व्यास—बेलेन्स शीट होने पर पता लग सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मकान के बारे में कितना दिया गया है ?

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—बेलेन्स शीट कब तक तैयार हो जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—जल्दी ही तैयार हो जायगी। मैं तो तैयार नहीं कर रहा हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार जाँच करेगी कि एकाउन्टेन्ट जनरल ने कोई रिपोर्ट सबमिट की है ? Whether a report has been submitted or not ?

श्री जयनारायण व्यास—कागजात तो ए. जी. के चलते रहते हैं और हर एक कोई कागज की जाँच करने की बात नहीं होती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, सरकार को इस प्रकार के इम्पोर्टेंट कागज, ए. जी. की रिपोर्ट आई है या नहीं, इस बारे में जांच करने में क्या आपत्ति है ?

श्री जयनारायण व्यास—अगर जरूरत समझते हैं तो जरूर करते हैं। बाकी ए. जी. का काम तो अकाउन्ट्स के बारे में कई दर्जन रिपोर्ट्स करने की होती है। यदि हर रिपोर्ट की जाँच करते रहे तो फिर ऑडिटर जनरल का काम भी हमको ही करना पड़ेगा।

Page No.5

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई है क्या सरकार उसको सदन की मेज पर रखने के लिए तैयार है ?

श्री जयनारायण व्यास—सदन के मेज पर रखने के लायक हुई तो रख दी जायगी और यदि पब्लिक इन्ट्रेस्ट में नहीं हुई तो नहीं रखी जायगी।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—यहाँ जो लिकर मेन्युफेक्चर होता है वह दूसरी जगहों के बनिस्पत कितना अच्छा होता है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह तो लिकर का टेस्ट जानने वाले ही बता सकते हैं, अच्छा या बुरा।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—टेस्ट करने के लिए सदन के माननीय सदस्यों को क्या मौका दिया जायगा ?

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री जयनारायण व्यास—ऑपोजिशन के लीडर को अवश्य एक बोतल भेज दी जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—One more supplementary, Sir; very relevant it is.

श्री अध्यक्ष- नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक और मुद्दे की चीज़ है।

श्री अध्यक्ष—Order please ! Order please !! We have to cover two days' questions today, and if seven to ten minutes are allowed for each qusetion......

श्री हरिकृष्ण व्यास--There is an important supplementary.

श्री अध्यक्ष—But then unimportant supplementaries should not be asked.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I am not responsible for this.

Page No.6

प्रश्न संख्या १२६३

सरवाड़ के किले में तामड़े का बड़ा संग्रह

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सरवाड़ के किले में एक बहुत बड़ा स्टोर तामड़े का रखा हुआ है।

(२) यदि हाँ, तो तामड़ा कितने मूल्य का है और कितने बरसों से रखा हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(१) हाँ।

(२) करीब १४०००) कीमत फाइल में दिखाई गई है। करीब ४३ वर्ष से स्टोर में रखा हुआ है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह तामड़ा दुनियाँ के तामड़ों में से अच्छी किस्म का है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने सारी दुनियाँ के तामड़ों की जाँच नहीं की है।

श्री चाँदमल मेहता—यह कितने वर्ष से बन्द रखा हुआ है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने जवाब दिया था कि ४३ वर्ष से।

श्री चाँदमल मेहता—इतने वर्षों से बन्द रखने का क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—बिक नहीं सका। बेचने के लिए राजस्थान सरकार ने काफी प्रयास किया।

श्री सन्तोषसिंह—तामड़ा क्या है और यह किस काम में आता है ?

श्री अध्यक्ष—ताम्बे का बना हुआ तामड़ा।

(हँसी)

श्री जयनारायण व्यास—यह नगीना है और नगीना बनाने के काम में आता है।

श्री चान्दमल मेहता—राजस्थान सरकार ने कब इसको बेचने का प्रयास किया ?

श्री जयनारायण व्यास—१६४६ में ७१ मन ४॥। सेर किशनगढ़ मंगाया गया था जिसमें से ६। मन ४। सेर २३२०) में निलाम किया गया। बाकी के लिए निलाम की कार्यवाही की गई किन्तु कोई खरीददार नहीं आया। हाल ही में अच्छी क्वालिटी का तामड़ा पन्ने के साथ जयपुर में नीलाम करने का विचार है। जब पन्ना निलाम किया जायगा तो अच्छी क्वालिटी का तामड़ा भी नीलाम किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि तामड़ा सरकार के पजेशन में नहीं है। जिस कोठार में रखा हुआ है वहाँ महाराजा का ताला है।

श्री जयनारायण व्यास—कोई ऐसी सूचना नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सूचना प्राप्त कर कार्यवाही करने की सोचेंगे?

श्री जयनारायण व्यास—जहाँ तक मुझे मालूम है यह तामड़ा सरकार का है और सरकार के ही पजेशन में है। यदि ताला महाराजा का है और महाराजा के पास है तो लेने की कोशिश की जायगी, तामड़ा उनको नहीं दिया जायगा।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या माननीय सदस्य का ताला लगाने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री जयनारायण व्यास—क्या जबान पर? मैं नहीं समझ सका।

(हँसी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न सं० १२६४

सुखाड़िया एवार्ड से जयपुर स्पिनिंग कम्पनी लिमिटेड के श्रम-जीवियों की मजदूरी व भत्ते

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Labour be pleased answer :—

(a) Is the Government aware that the wages and allowances of the workers of the Jaipur Spining Co. Ltd are far below the level laid down in the Sukhadia Award?

(b) Will the Government enforce this Award for the Jaipur Spinning Co. Ltd.

(c) If not, why not?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—(अ) हाँ।

[श्रीरामकरण जोशी]

(ब) यह संभव नहीं है।

(स) उक्त अवार्ड उस पर लागू नहीं होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर करके जाँच कराई गई है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं समझा नहीं, आप इसको और साफ कर दीजिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मातहत कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी जांच करने के लिये नियुक्त करके उसकी रिपोर्ट मंगाई गई है ?

श्री रामकरण जोशी—यह अवार्ड फॉर्मर राजस्थान में मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स, भीलवाड़ा और महाराजा किशनगढ़ मिल्स, किशनगढ़ के मजदूरों के लिये ही तयार हुआ था। वह फोर्मर राजस्थान में ही हुआ था, और कहीं नहीं। अतः यह प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है कि जाँच करवाई जाय कि जयपुर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स में यह लागू भी है या नहीं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जयपुर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स, जयपुर के मजदूरों को तनख्वाह और महंगाई भत्ते के सिलसिले में कोर्ट द्वारा जाँच कराई जाना वाजिब है या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—सारे राजस्थान के लिए एक समिति का निर्माण हो रहा है। वह इन्डेक्स तैयार करेगी और पूरी बातें फिर तय होंगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि उक्त मिल के मजदूरों की ओर से आवेदन पत्र श्रमिक विभाग को दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी—उक्त आवेदन की मुझे वाकफियत नहीं, नाम जरूर माँगे गये हैं कि दोनों सम्बन्धित पार्टियों की ओर से अपनी-अपनी नामजद कमेटी बने। नाम अभी आये नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मजदूरों ने मांग की है कि सुखाड़िया अवार्ड के मुताबिक महंगाई भत्ता मुकर्रर किया जाना चाहिये ?

श्री रामकरण जोशी—सुखाड़िया अवार्ड राजस्थान में अब नहीं, वह रद्द हो चुका। वेजेज़ उसके अनुसार मुकर्रर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस प्रश्न को कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी या किसी और को सौंपने के लिये तैयार है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १२६५

सन् ५३-५४ में किशनगढ़ सब डिविजन के उन अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र जिन्होंने परीक्षा में बैठने की प्रार्थना की

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ५३-५४ के वर्ष में किशनगढ़ सब डिविजन के किन-किन अध्यापकों ने किस-किस तारीख को परीक्षा में बैठने की आज्ञा चाहने के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किये ?

(२) किन-किन अध्यापकों को इस प्रकार की आज्ञा नहीं दी गई और उसकी सूचना उन्हें कितने महीने बाद दी गई ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(१) १९५३-५४ के वर्ष में किशनगढ़ सब डिवीजन के स्कूलों के जिन-जिन अध्यापकों ने जिस-जिस तारीख को परीक्षा में बैठने के लिये आज्ञा चाहने हेतु अपने प्रार्थना-पत्र पेश किये उनकी सूची संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(२) १ से १६ तक परीक्षा में बैठने की आज्ञा दी गई । नं० १७ से २८ तक के अध्यापकों को परीक्षा में सम्मिलित होने की आज्ञा नहीं दी गई ।

निरीक्षक जयपुर से पूछे जाने पर यह ज्ञात हुआ है कि जिन अध्यापकों को वह परीक्षा में बैठने के लिये आज्ञा नहीं देते उनको सूचित किया जाना उचित नहीं है । जयपुर निरीक्षक को आगे के लिये सूचना देने के लिये आदेश दे दिया गया है ।

श्री चाँदमल मेहता—कितने महिनों बाद उनको 'ना' का जवाब दिया गया ?

श्री भोलानाथ—अस्वीकृति का जवाब नहीं भेजा जाता ।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किन-किन अध्यापकों को अस्वीकृति देनी चाहिये और किनको स्वीकृति, इस बारे में कोई नियम नहीं बने हुए है ?

श्री भोलानाथ—नियम हैं । इसी प्रकार के एक प्रश्न के उत्तर में मैंने पहले भी कहा था कि जो हर साल इम्तहान में बैठते रहते हैं उनको स्वीकृति नहीं दी जाती या जैसे किसी प्राइमरी स्कूल में चार ही अध्यापक हैं और चारोंही इम्तिहान में बैठना चाहते हैं तो हरेक को तो बैठने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती ।

Page No.10

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि जिन नियमों का माननीय मन्त्री जिक्र कर रहे हैं उनका गजट में पब्लिकेशन नहीं किया है ?

श्री भोलानाथ—गजट में प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिये जो कुछ नियम होते हैं उनका पब्लिकेशन करना उचित प्रतीत नहीं होता। यदि किसी स्कूल में, जहाँ चार ही अध्यापक हों, यदि चारों ने ही दर्ख्वास्त दे दी हैं तो जितने अध्यापकों को स्वीकृति देना आवश्यक समझती है उतनों को ही स्वीकृति दी जाती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—चार आदमी एक साथ एप्लाई करते हैं तो उन चारों में से प्राथमिकता किसको दी जाय, इस सम्बन्ध में कोई नियम है क्या ?

श्री भोलानाथ—जिसने पहले इम्तिहान नहीं दिया हो उसको पहले इजाजत दी जाती है।

श्री चाँदमल मेहता—इस सम्बन्ध में कोई डिपार्टमेन्टल रूल्स हैं या कनवेन्शन हैं।

श्री भोलानाथ—कनवेन्शन हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मन्त्री ने जिस सूची का हवाला दिया है उसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के १६ आदमियों को तो स्वीकृति दे दी गई, बाकी के १२ को नहीं दी; तो क्या जो सूची आपके सामने है उसमें से पहले १६ को तो दे दी गई बाकी के १२ को क्यों नहीं दी ?

श्री भोलानाथ—नहीं यह बात नहीं, स्वीकृति वालों की सूची पहले पढ़कर सुनाई गई है। यह आप लोगों की सहूलियत के लिए ऐसा किया गया है। इसमें बहुत तकलीफ हुई है, इसको बनाने में।

प्रश्न संख्या १२६६

जोधपुर में साइकिल फैक्ट्री खोलने के लिये लोन

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to answer :—

(a) Has the State Government granted any loan to a cycle factory at Jodhpur ?

(b) If so, what is the amount and under what terms has it been granted ?

(c) Has the Government conducted any enquiry about the market value of the total assets of this company ? Have they been hypotheticated for this amount ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

(d) What is the output of cycles of this factory for each month since January, 1954 ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) No loan has been granted to any cycle factory at Jodhpur.

(b), (c) and (d). The question does not arise.

प्रश्न संख्या १२६७

राजस्थान के टेक्सटाइल मिल्स तथा उनसे रोयल्टी की वसूली

श्री चाँदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में टेक्सटाइल मिल्स कितने हैं ?

(ख) उक्त मिल्स से प्रति वर्ष कितनी-कितनी और किस-किस रेट से रॉयल्टी वसूल की जाती है ?

(ग) पिछले पाँच साल की रॉयल्टी के कितने-कितने रुपये किस-किस में बाकी हैं ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(क) राजस्थान में निम्नलिखित ७ टेक्सटाइल मिल्स हैं ?

१ शादु ल टेक्सटाइल मिल, गंगानगर।

२ महाराजा किशनगढ़ मिल; किशनगढ़।

३ मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा।

४ महादेव कोटन मिल, भीलवाड़ा।

५ महाराजा श्री उम्मेद मिल, पाली।

६ जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, जयपुर।

७ कोटा टेक्सटाइल मिल, कोटा।

(ख) व (ग) १ जयपुर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल, जयपुर को रॉयल्टी का कुछ नहीं देना पड़ता है।

२ उम्मेद मिल्स पाली मुनाफे पर साढ़े सात प्रति सैकड़ा रोयल्टी देती है।

[श्री जयनारायण व्यास]

३ मेवाड़ टैक्सटाइल मिल, भीलवाड़ा को एक आना ३ पाई प्रति मन कपास जिनिंग पर व १ रु० ६ आना ३ पा० प्रति सैकड़ा बिक्री पर देना पड़ता है।

४ महादेव कोटन मिल्स भीलवाड़ा को ३ आ० फी मन कपास जिनिग पर व २ रु० ८ आ० प्रति सैकड़ा बिक्री पर एस्बेस्टोस पर ४ आना फी सैकड़ा देना पड़ता है।

५ किशनगढ़ कॉटन मिल्स २ पाई प्रति सैकड़ा पौंड सूत १०००० स्पिन्डल्स तक १ पाई प्रति १०००० से ऊपर पर।

६ कोटा टैक्सटाइल मिल बन्द है।

७ सादुंल टैक्सटाइल मिल गंगानगर पर रॉयल्टी नहीं है।

मेवाड़ टैक्सटाइल मिल भीलवाड़ा में २७१६७७) रु० महादेव कोटन मिल भीलवाड़ा में २३२१५ रु० ३ आ० ३ पा०।

उम्मेद मिल पाली सन् १९५३ से रॉयल्टी बन्द है।

महाराजा किशनगढ़ मिल ने आंकड़े अभी तक नहीं भेजे हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल, जयपुर को रॉयल्टी ऐक्सक्लूड क्यों किया गया है?

श्री जयनारायण व्यास—जब यह टैक्सटाइल मिल बना था, सरकार के साथ उनका ऐसा ही एग्रीमेन्ट था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस मिल की रॉयल्टी के बारे में फिर से विचार करेगी?

श्री जयनारायण व्यास—इस मिल की रॉयल्टी के बारे में सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है।

श्री कँवरलाल जेलिया—कोटा टैक्सटाइल मिल जो काफी दिनों से बन्द है गवर्नमेंट उसको अपने नियन्त्रण में क्यों नहीं लेती?

श्री जयनारायण व्यास—ऐसे बहुत से कारखाने हैं जो बन्द हैं। सबको तो गवर्नमेंट ले नहीं सकती। इसमें भी कई कानूनी अड़चने होती हैं; मालिक की मरजी होनी चाहिये आदि-आदि।

Page No.13

श्री कँवरलाल जेलिया—कोटा टैक्सटाइल मिल जो बन्द है उसके बन्द होजाने से जो मजदूर बेरोजगार हो गये हैं, उनकी बेरोजगारी मिटाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री जयनारायण व्यास—कोटा टैक्सटाइल मिल जो बन्द है उसको खुलवाने के लिये राजस्थान सरकार पूरी प्रयत्नशील है। अगर कोई पार्टी सामने आवे तो उसको समझा-बुझाकर उनके आपस में बात-चीत कराकर सरकार कोटा टैक्सटाइल मिल को चालू करवाना पसन्द करती है; किन्तु कुछ कानूनी अड़चनें हैं जिनकी वजह से खुद सरकार कोटा टैक्सटाइल मिल को अपने नियन्त्रण में नहीं ले सकती। जो मिल चालू करते हैं ऐसी प्राइवेट कम्पनियाँ जो है अगर वे बन्द हो जाती हैं, तो उनके जो मजदूर बेकार होजाते हैं तो उनको काम दिलाने की जिम्मेवारी सरकार नहीं ले सकती, उनको दूसरे कामों में एब्जोर्ब होने में सरकार कोशिश करेगी।

श्री चाँदमल मेहता—रोयल्टी की जो रकम बकाया है, उसके बकाया रहने के क्या कारण है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग से प्रश्न है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या रोयल्टी के रेट्स को एक स्तर पर लाने के लिये सरकार विचार कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—अभी कोई यह विचारणीय प्रश्न नहीं है। अलग-अलग स्थितियों में अलग कम्पनियों से एग्रीमेंट किया गया था। अगर उनको एक स्तर पर लाने की कोई स्थिति होगी तो इस पर विचार किया जायगा।

प्रश्न संख्या १२६८

सन् ५३-५४ में हाई स्कूलों के अध्यापकों को प्रधानाध्यापक बनाना

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ५३-५४ के वर्ष में कितने अध्यापकों को हाई स्कूल के हैडमास्टर बनाने का प्रोमोशन दिया गया ?

(२) उक्त अध्यापकों की योग्यतायें क्या थीं व लेंग्थ आफ सरविस कितनी थी ?

(३) उक्त अध्यापकों का सिलेक्शन किस तरह किया गया ?

(४) उक्त अध्यापकों में जोधपुर व अलवर के निवासी कितने-कितने हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—(१) ५३-५४ के वर्ष में किसी भी अध्यापक को हैड मास्टर के पद पर स्थाई रूप से प्रमोशन नहीं दिया गया। १२ अध्यापकों को officiating तरीके से हैड मास्टर के रिक्त स्थान पर काम चलाने के लिये नियुक्त किया गया है।

[श्री भोलानाथ]

(२) उक्त अध्यापकों की योग्यता तथा लेन्थ ऑफ सर्विस का विवरण सदन की मेज पर रखा है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

(३) उक्त अध्यापकों का चुनाव उनकी विशेष योग्यता एवं सेवा-काल के आधार पर किया गया है।

(४) उक्त अध्यापकों में चार जोधपुर के तथा १ अलवर के निवासी हैं।

श्री चांदमल मेहता—खण्ड ३ का जवाब नहीं दिया गया।

श्री भोलाना—उक्त अध्यापक विशेष योग्यता के आधार पर चुने गये जोधपुर और अलवर के निवासी हैं।

श्री चाँदमल मेहता—इन अध्यापकों के सिलेक्शन के सम्बन्ध में किसी प्रकार का विज्ञापन किया गया था या आवेदन-पत्र माँगे गये थे?

श्री भोलानाथ—इनको ओफीशियेटिंग का चान्स दिया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—सरकार ने उनकी नियुक्ति पी० एस० सी० की मार्फत करना मुनासिब क्यों नहीं समझा?

श्री भोलानाथ—जिनको पर्मानेन्ट करना होता है तब उनके पास जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—तो क्या अब उनको पर्मानेन्ट करने के लिए स्वीकृति ले ली गई है?

श्री भोलानाथ—नहीं।

श्री चाँदमल मेहता—इन अध्यापकों के अलावा और कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनको पी० एस० सी० ने कन्फर्म नहीं किया है और वे हैड मास्टर की तरह काम कर रहे हैं?

श्री भोलानाथ—यह सूची इस समय उपलब्ध नहीं है मेरे पास, बाद में पेश की जा सकती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किसी खास प्रान्त के आदमियों की खास तौर से नियुक्ति करने की कोशिश की गई है?

श्री भोलानाथ—आपने शायद सुनने की कोशिश नहीं की है। किसी खास जिले का...

Page No.15

श्री अध्यक्ष--प्रान्त तो एक ही है ?

श्री चान्दमल मेहता—प्रान्त नहीं साहब, जिला खास जिला।

श्री भोलानाथ--...सब सिलसिलेवार बताया गया है। अब आप समझने की कोशिश करें तो समझाने की कोशिश करें हम।

(हंसी)

या तो ऐसा मालूम होता है कि ज्योग्राफी का ज्ञान आपको नहीं है......

श्री अध्यक्ष—It should not be repeated, Next.

प्रश्न संख्या १२६६

श्री रामप्रसाद राजगढ़िया को माइका ब्लोक का पट्टा

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Hon'ble Minister for Industries be pleased to answer :—

(a) Has the Government granted any lease of a mica block to Shri Ram prasad Rajgharia ?

(b) If so, which block and on what date was it given to the above party on lease ?

(c) Had this block been declared free and notified in the Gazette prior to lease being granted ? If not, why not ?

(d) What were the reasons for according such preferential treatment to one party ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—[1] No. The lease of mica has not yet been granted to Shri Ram prasad Rajgaria although recommendation for grant of certain mica bearing areas in blocks No. 3 and 6 which have recently been declared free, has been made to the Government of India in his favour.

[2] This question does not arise.

[3] The area for which recommendation has been made in favour of Shri

[श्री जयनारायण व्यास]

Rajgharia was duly declared free before receiving applications of Shri Rajgarai and others.

[4] Shri Rajgharia's application has been given preferential treatmen due to the reason that he is the first person who came forward with a definite plan to establish a mica splitting factory, the first of its kind in Rajasthan.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने उनके साथ इस सिलसिले में कोई शर्तनामा लिखा है कि अमुक अवधि तक यह फेक्ट्री एस्टेब्लिश कर दी जावेगी?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार ने केवल रिकमन्ड किया है उनका केस भारत सरकार के पास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि अमुक अवधि तक यह स्टिपुलेटेड फेक्टरी नहीं बनावेगा तो यह लीज़ ओटोमेटिकली कैंसिल गिनी जावेगी?

श्री जयनारायण व्यास—यह अलग क्वेश्चन है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि पहले भी इसी प्रकार की फेक्ट्रीज़ और मशीनरीज़ को लगाने का आश्वासन देकर बहुत से लोग लीज़ ले गए और बाद में अपने आश्वासन को पूरा नहीं किया?

श्री जयनारायण व्यास—सरकार इस बात की बराबर जाँच पड़ताल रखती है। अगर कोई पहले वादा करके कन्सेशन्स ले लेते हैं और वह लेकर फिर बाद में नहीं पूरा करते है तो उनको प्रोसीक्यूट भी करने तक की बात सरकार के दिमाग में है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तो क्या इससे यह समझा जावे कि इसका फैसला होने के पहले अवधि मुकर्रर कर दी जावेगी?

श्री जयनारायण व्यास—एप्लीकेशन में क्या-क्या बातें हैं, इसकी डिटेल मेरे पास इस समय नहीं है; नहीं तो मुमकिन है कि मैं इसका उत्तर देता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि लीज़ ग्रान्ट होने का आदेश प्राप्त होने के पहले ही तथा एरिया भी डिक्लेअर होने के महीनों पहले उक्त पार्टी ने उक्त ब्लॉक में काम करना शुरू कर दिया था?

Page No.17

श्री जयनारायण व्यास—यह सही नहीं मालूम होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२७०

राजस्थान की नगरपालिकायें जिन्होंने वाटर वर्क्स बनाने के हेतु उधार लेने के प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किए

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले दो वर्षों में राजस्थान की किस-किस नगरपालिका ने वाटर वर्क्स बनाने के लिए लोन लेने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये ?

(ख) उक्त नगरपालिकाओं में से किस-किस को कितने-कितने रुपये देने की स्वीकृति की गई ?

(ग) क्या किशनगढ़ नगरपालिका ने भी लोन के लिए माँग की थी ?

(घ) यदि हाँ, तो कब और कितने रुपये के लिए ?

(ङ) उक्त माँग पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) तथा (ख) तालिकायें सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

(ग) जी हाँ।

(घ) ५,००,०००) रुपये के लिए उनके पत्र क्रमांक ४७४ दिनांक २८-६-५३ द्वारा की।

(ङ) जब तक वाटर सप्लाई की स्कीम पूरी तैयार न हो जावे कर्ज की माँग पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं। सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर हैल्थ योजना तैयार कर रहे हैं।

(च) इस विषय में दो स्मरण-पत्र दिनाँक ३-५-५४ तथा २८-५-५४ को प्राप्त हुए।

Page No.18

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सरकार की जानकारी में है कि किशनगढ़ की वाटर-वर्क्स की स्कीम सरकार ने मन्जूर कर ली और वाटर रिज़र्वोयर उन्होंने बनवा लिया ?

श्री रामकरण जोशी—इसकी मुझे सूचना नहीं है ।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार इसकी सूचना प्राप्त करके किशनगढ़ को वाटर वर्क्स का लोन देने के लिए तैयार है ?

श्री रामकरण जोशी—योजना मन्जूर करने के बाद सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी सरकार का लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट इसके बाद इस पर लोन स्वीकार करता है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने इस प्रश्न पर उस क्षेत्र से आये हुए माननीय सदस्य से भी सलाह मश्विरा किया है ?

श्री अध्यक्ष—Other supplementaries?

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सवाई माधोपुर का जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—This is a Health Department question.

श्री श्रीदास गोयल—No. Has he got any information from the Municipality of Sawai Madhopur so that the water works may be started there.

श्री रामकरण जोशी—राजस्थान में बहुत-सी जगहों की इस किस्म की पानी की शिकायतें हैं कि वहां का पानी हैल्थ के लिये उचित नहीं प्रतीत होता । सवाई माधोपुर के लिए मेरे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं । और अगर आप चाहेंगे तो इसकी जांच करके बता सकूंगा ।

श्री अध्यक्ष—But can it not be judged from the health of the Hon 'ble Member (Shri Goel) ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं सदन को यह सूचना दे देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, जो पानी खराब है उस खराब पानी की जाँच करके वह किस तरह से दुरुस्त किया जा सकता है और कड़वा किस प्रकार पानी मीठा किया जा सकता है, इस बारे में प्रयोग कर रही है और वह प्रयोग करीब-करीब कामयाब हो चुका है । राजस्थान सरकार की तरफ से जोधपुर, बीकानेर और जयपुर डिवीजन के कुछ हिस्सों का पानी लाया गया था और वह रिसर्च डिपार्टमेंट के पास भेजा गया है । इसी तरह मेरी माननीय सदस्य से भी प्रार्थना है कि अगर उनकी यह सूचना है कि वहाँ का पानी खराब है तो उस पानी की दो बोतलें सील लगाकर भेज दें; एक भारत सरकार के पास और दूसरी राजस्थान सरकार के पास, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया का रिसर्च विभाग इसकी भी जाँच करने की कोशिश करेगा ।

Page No.19

श्री श्रीदास गोयल—सवाई माधोपुर में आम तौर पर सितम्बर-अक्टूबर महीनों में लोग मलेरिया में बीमार हो जाते हैं, इसका कारण क्या सरकार समझती है ?

श्री रामकरण जोशी—इसका कारण मच्छरों का असर होगा, पानी नहीं हो सकता।

श्री श्रीदास गोयल—मैं सरकार को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि लोगों द्वारा मसहरियों, तेल आदि का उपयोग करने और मच्छरों के न काटने के बावजूद भी केवल पानी की खराबी की वजह से, क्योंकि वहां का पानी भारी है, लोग मलेरिया के शिकार हो जाते हैं। पानी ही वहां का अच्छा नहीं है और मलेरिया का यही कारण है।

श्री रामकरण जोशी—सवाई माधोपुर का पानी आप खराब समझते हैं, मैं तो नहीं समझता।

श्री अध्यक्ष—You are going beyond the scope of the question.

श्री श्रीदास गोयल—He has told about the water of Sawai Madhopur.

श्री अध्यक्ष—He has told, but you are going beyond the scope.

श्री चाँदमल मेहता—योजना स्वीकृत होने पर भी किशनगढ़ को लोन नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री रामकरण जोशी—माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि अभी योजना ही स्वीकृत नहीं हुई है।

श्री चाँदमल मेहता—अब योजना कौन बना रहा है ?

श्री रामकरण जोशी—म्युनिसिपैलिटी ने बनाकर पेश की है। इसके बाद में सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर के पास एग्ज़ामिन होने के लिए है और इसके बाद फाइनेन्स विभाग में जावेगी। तब जाकर लोन मिल सकेगा।

श्री चाँदमल मेहता—यह कितने दिनों से सरकार के समक्ष है ?

श्री रामकरण जोशी—२८-६-५३ को म्युनीसिपैलिटी की तरफ से यह योजना सरकार की तरफ आई।

श्री चाँदमल मेहता—इसके बाद क्या कार्यवाही की गई अब तक ?

श्री रामकरण जोशी—सुपरिन्टेन्डिग इन्जीनियर के पास भेज दी गई है ।

श्री चाँदमल मेहता—उनसे कब तक अब उम्मीद की जावे कि वहाँ से निकल सकेगी?

श्री रामकरण जोशी—दो रिमाइन्डर भी उनको दिये गये हैं । वह अपने काम में जल्दी कर रहे हैं ।

श्री श्रीदास गोयल—जिन जगहों का पानी खराब है, वहाँ उसकी जाँच करने के बाद क्या सरकार वाटरवर्कस के लिए कर्ज देगी ?

श्री रामकरण जोशी—इसकी आवश्यकता के पहले स्थानीय म्युनीसिपेलिटियाँ कोई भी पानी की योजना अपने यहाँ चालू करने के लिए तैयार करती हैं और उसे सरकार की मन्जूरी के लिए भेजती हैं । सरकार कर्जा देने से पहले उसे सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर से एग्जामिन कराती है और इसके बाद फाइनेन्स विभाग के पास भेजती है । इसके बाद जाकर कर्ज दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोहब्बतसिंह ।

प्रश्न संख्या १२७१

दिल्ली में सिरोही की मुसम्मात सईदुन्निसा से ली गई सम्पत्ति के लिए ट्रस्ट की स्थापना

श्री मोहब्बतसिंह—Will the Chief Minster be pleased to state:—

[a] Is it a fact that a trust is going to be formed of the property recovered from Musammat Sayed-un-Nisa of Sirohi at Delhi?

[b] Is it also a fact that the annual income derived from the property would be donated to the deserving students of former Sirohi State for their technical education?

श्री जयनारायण व्यास— (मुख्य मन्त्री) [a] No.

[b] In view of the reply to part (a)

[a] this question does not arise.

श्री मोहब्बतसिंह—क्या सरकार और सईदुन्निसा में कोई ऐसा समझौता हुआ था कि ट्रस्ट बनाया जावे प्रोपर्टी का ?

श्री जयनारायण व्यास—सैदुन्निसा की प्रोपर्टी का ट्रस्ट बनाने का कोई समझौता नहीं हुआ था ।

श्री अध्यक्ष— जैबुन्निसा नहीं, सईदुन्निसा है।

(हंसी)

श्री जयनारायण व्यास — यह तो माननीय सदस्य जानते हैं अच्छी तरह से।

कुं० श्री जसवन्तसिंह— यह समझौता किस मिनिस्टर और मुसम्मात के बीच में हुआ था ?

श्री जयनारायण व्यास— यह मेरे भूतपूर्व फाइनेन्स मिनिस्टर कहीं ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे ?

श्री अध्यक्ष—He [Shri Jaswant Singh] wants an announcement of his name in the House.

श्री हरिकृष्ण व्यास-- इस मामले पर विचार राजप्रमुख कर रहे हैं या राजस्थान सरकार कर रही है ?

श्री जयनारायण व्यास— हमसे पूछा जावेगा तो अपनी सलाह देंगे पर वह मामला वैसे राजप्रमुख की एक्सक्लयुजिव (exclusive) जिम्मेदारी पर है।

श्री हरिकृष्ण व्यास— क्या यह सही नहीं है कि इस सिलसिले की कार्यवाही सचिवालय में चलती है ?

श्री जयनारायण व्यास— चलती होगी, हो सकता है। पर फाइनल्ली मामला वहीं जाता है, यह सूचना मैं आपको दे दूं।

श्री अध्यक्ष-- नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२७२

राजस्थान में इन्टर कॉलेजों की संख्या तथा वहाँ
विज्ञान का विषय

श्री चाँदमल मेहता— क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे;

(१) राजस्थान में इन्टर कॉलेजों की संख्या कितनी है ?

Page No.22

[श्री चाँदमल मेहता]

(२) उक्त कॉलेजों में किन किन स्थानों पर विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है ?

(३) किशनगढ़ इन्टर कॉलेज कब बना और वहां विज्ञान की शिक्षा शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ— (शिक्षा मन्त्री) (१) २० ।

(२) बूंदी, सरदारशहर, झालावाड़, बांसवाड़ा, चिड़ावा, गंगानगर, और उदयपुर ।

(३) किशनगढ़ का हाईस्कूल जुलाई १९५१ में इन्टर कॉलेज बनाया गया उस समय बजट में अधिक खर्च की गुन्जाइश न होने के कारण इसमें साइन्स कक्षाएँ नहीं खोली गई ।

श्री चाँदमल मेहता—अब इन्टर कॉलेज कब तक खोलने की उम्मीद की जाय ?

श्री भोलानाथ—इन्टर कॉलेज तो वहां है ।

श्री अध्यक्ष—कॉलेज नहीं, साइन्स क्लासेज़ ।

श्री चाँदमल मेहता—वहां विज्ञान की क्लासेज़ खोलने की उम्मीद कब तक की जाय ?

श्री भोलानाथ—अभी तो विचार नहीं है ।

श्री चाँदमल मेहता—कितने वर्षों में उम्मीद करें

श्री भोलानाथ—अभी तो विचार है नहीं ।

श्री चाँदमल मेहता—अभी तक विचार नहीं करने का क्या कारण है ?

श्री भोलानाथ—पैसा नहीं है ।

श्री चाँदमल मेहता—दूसरे स्कूलों में विज्ञान की क्लासेज़ खोलने के वक्त में पैसे का खयाल नहीं किया गया था ।

श्री अध्यक्ष —Order ! order !

श्री भोलानाथ—सब जगह खयाल किया जाता है। जहां पेसा होता है वहाँ खोल दी जाती है।

प्रश्न संख्या १२७१

भीलवाड़ा की द्वितीय टेक्सटाइल मिल्स का बहुत समय तक बन्द रहने के पश्चात् खुलना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Labour be pleased to answer:—

[a] Is it a fact that the second taxtile mill in Bhilwara, which was so far lying closed has been recently re-started ?

[b] Is it a fact that the wages of the workers have been reduced below the level prescribed as per the Sukhadia award ?

[c] If so, what is the extent of such reduction ?

[d] Is the Government a party to this reduction ?

(e) Will the Government prosecute the concerned mill owner of Bhilwara for violating the Sukhadia Award which as per notification of the former Rajasthan Governmnet applies to all textile industrial units in Bhilwara ?

श्री रामकरण जोशी (श्रम मन्त्री)—(अ) हां।

(ब) सुखाड़िया एवार्ड महादेव कॉटन मिल्स भीलवाड़ा पर लागू नहीं था।

(स), (द), व (ई) प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सुखाड़िया एवार्ड लागू करने के समय भीलवाड़ा जिले की सब टेक्स्टाइल मिल्स पर लागू किया गया था।

श्री रामकरण जोशी—यह कहना सही नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार यह जो समझौता हुआ है, मिल के मालिकों और मजदूरों के बीच पार्टी है।

Is the Government party to an agreement between the owners of the industry and the authority determining the wages ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न तो अलग से पूछा जा सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह लिखा हुआ है प्रश्न (डी)।

"Is the Government party to this reduction ?"

श्री रामकरण जोशी —प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। उसका सम्बन्ध एवार्ड से है, इसलिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है कि सरकारी पार्टी बनी और कम करवाई क्योंकि वह एवार्ड इस मिल पर लागू नहीं होता है

श्री हरिकृष्ण व्यास—जो वेजेज़ मुकर्रर हुई हैं वह क्या सरकार की रजामन्दी से मुकर्रर हुई हैं ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसा कोई एग्रीमेंट वहाँ नहीं हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि उस मिल में जो वेजेज़ व महगाई भत्ता है वह दूसरे मिलों की वेजेज़ और मंहगाई भत्ते से २५ फी सदी कम है।

श्री रामकरण जोशी—उसके समान तो नहीं है, इतना तो जो उत्तर दिया गया है उसमें स्वीकार किया गया है।

श्री हरीकृष्णव्यास—क्या सरकार इस प्रश्न पर कोई जांच कराने के लिये तैयार है कि एक ही केन्द्र में २ टेक्सटाइल मिल्स के बीच में इस प्रकार की वेजेज़ और मंहगाई भत्ते में फर्क क्यों है ?

श्री रामकरण जोशी—वह तो स्थिति साफ है कि उस मिल पर सुखाड़िया एवार्ड जो कायम हुआ था वह उसके अन्तर्गत वहां की वेजेज़ और मंहगाई भत्ते तय हुए थे। इस मिल में वह एवार्ड लागू नहीं हुआ था और यह मिल जैसे चलता था उसी तरीके से चलाया।

श्री अध्यक्ष —नेक्स्ट।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि उस मिल में मजदूरों को तीन महीने से तनख्वाह अब तक नहीं मिली है ?

श्री रामकरण जोशी—इसकी सूचना अभी तक मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इसकी शिकायत स्थानीय कलेक्टर के पास की गई है और इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही करने में देरी हो रही है।

श्री रामकरण जोशी—स्थानीय कलेक्टर उचित कार्यवाही वहाँ कर रहे होंगे।

श्री अध्यक्ष—श्री रामदयाल।

प्रश्न संख्या १२७४

भीलवाड़ा में स्थानीय डाकूदल का पकड़ा जाना

श्री रामदयाल—क्या मुख्य मन्त्रीजी बताने का कष्ट करेंगे :

क्या यह सही है कि भीलवाड़े में जो स्थानीय डाकूदल पकड़ा गया था उसकी हलचलों और हरकतों के बारे में भीलवाड़ा नगर निवासियों के एक डेपुटेशन द्वारा समय से पूर्व ही पुलिस अधिकारियों को लिखित विवरणपत्र मय दल के सदस्यों की नामावली और उनके द्वारा किये गये हथकण्डों की सूचना दे दी गई थी ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—किसी डाकू दल के बारे में कोई खबर पुलिस को नहीं मिली, अलावा सिर्फ इसके कि गंगाधर के खिलाफ कुछ शिकायतें आई हैं, उस पर कार्यवाही की गई है।

श्री रामदयाल—यह शिकायतें डाका डालने से पूर्व आई थीं या बाद में ?

श्री जयनारायण व्यास—डाका डालने के बाद २६-१२-५३ को और एक और शिकायत २७-१२-५३ को आई थी और उसके बाद में फिर दुर्गासिंह ने गंगाधर के खिलाफ शिकायत की और उसके ऊपर सी.आर.पी.सी. १०८ के मातहत कार्यवाही की गई। कुछ और शिकायतें, कुछ और पार्टियों की, जो गंगाधर के खिलाफ एक्शन लिया गया था उस सिलसिले में आई थीं और वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चितौड़ के पास भेज दी गई हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री एच.के व्यास

प्रश्न संख्या १२७५

सन् १९५३-५४ के पिछले तीन महिनों में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स तथा डिप्टी डाइरेक्टर जोधपुर द्वारा क्रय किया हुआ स्टोर्स

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Education be pleased to answer:—

(1) What is the total value of stores purchased by the office of the

Page No.26

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

Inspector of Schools and the Deputy Director, Jodhpur, during the last three months of 1953-54 ?

(2) Is it a fact that delivery of many articles was given long after March, 1954 ?

[3] Is it true that payments were made even without delivery of the stores in question ?

[5] Have the accounts of these offices been audited recently ? If so, with what result ? If not, why not ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)—[1] Rs. 1, 11, 543/3/6.

[2] No.

[3] No.

[4] No.

श्री हरिकृष्ण व्यास—पूरे वर्ष में कितना स्टोर खरीदा गया है।

श्री भोलानाथ—This is the total value of all the stores.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is probably for three months. Three months of 1953-54, last three months of the financial year of 1953-54. उसके मैं फीगर्स पूछ रहा हूँ।

श्री भोलानाथ—This is the total of all the purchases including three months.

श्री हरिकृष्ण व्यास—आप पूरे वर्ष के आँकड़े दे रहे है। मैं तो दिस इअर (इस वर्ष) ५३-५४ के आखिरी ३ महिनों के आँकड़े माँग रहा हूँ।

श्री भोलानाथ—यह तीन महीनों के ही आंकड़े हैं। जो स्टोर पर्चेज़ किये जाते हैं तो जब यहाँ की सेन्क्शन आती है उसके बाद में किये जाते हैं। पिछले साल जो स्टोर्स परचेज़्ड हुए थे वे बहुत कम कीमत के थे। यह लास्ट थ्री मन्थ्स के हैं, मैंने ठीक ही बताया है।

Page No.27

श्री हरिकृष्ण व्यास--तो क्या समझा जाय कि यह लास्ट थ्री मन्थ्स के आंकड़े हैं या पूरे वर्ष के ?

श्री भोलानाथ--बजट पूरे वर्ष का है, यह आँकड़े भी पूरे वर्ष के हैं।

श्री हरीकृष्ण व्यास--तो फिर तीन महीनों के आँकड़े ही दिये जाँये, लास्ट थ्री मन्थ्स के।

श्री भोलानाथ--ड्यूरिंग दी लास्ट थ्री मन्थ्स का सवाल पूछा था उसी का जवाब दिया गया है

श्री हरीकृष्ण व्यास--कभी आप पूरे वर्ष का कहते हैं और कभी लास्ट थ्री मन्थ्स का।

श्री भोलानाथ--पूरे वर्ष के आंकड़े चाहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास--नहीं, लास्ट थ्री मन्थ्स के।

श्री भोलानाथ--वही बतलाये हैं।

श्री अध्यक्ष--He is reading the same.

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह तीन महीनों का है, तो बाकी के महीनों में कितना स्टोर्स पर्चेज किया गया है ?

श्री भोलानाथ--इसकी सूची महीने वार नहीं है, तीन महीनों का आपने पूछा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह जो स्टोर्स पर्चेज़ किये गये तो टेन्डर्स शाया कब किये गये ?

श्री भोलानाथ--टेन्डर्स का कोई सवाल नहीं पूछा है, उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या यह सही है कि ३-४ टेन्डर्स मार्च के महीने में शाया किये गये हैं ?

श्री भोलानाथ--मेरे पास टेन्डर की कोई सूची नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या सरकार ने इस बात की जाँच कराई है कि जो स्टोर्स परचेज

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

हो चुका है और जिनका पेमेन्ट हो चुका है वह उनकी डिलीवरी के कितने महीनों पहले हो चुका है ?

श्री अध्यक्ष—यह रिटन में पूछ सकते थे कि टेन्डर्स कब डिलीवर हुए। These supplementaries must have been in the written form so that there would have been definite reply.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But I ask whether articles were delivered before payments were made or after the payments were made. Then it follows that an enquiry in this regard will automatically be made.

श्री अध्यक्ष—Not necessary.

श्री भोलानाथ—२ और ३ के जवाब में 'नो-नो' कर दिया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वही मैं पूछ रहा हूँ कि स्टोर्स ३१ मार्च, १९५४, तक डिलीवर हो गये थे या पहले एकोर्डिंग टू डिपार्टमेंटल रेकॉर्ड्स ।

श्री भोलानाथ—डिपार्टमेंटल रेकॉर्ड्स में इस बात से घबराहट पैदा हो गई। शायद कुछ आर्टिकल्स नहीं थे, उनको शायद वापिस मांगा तो दुबारा उनको रिटर्न किया गया; इसलिए शायद यह शंका हुई होगी कि वह वापिस कर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—Should we take the questions tabled for the 27th July ?

['Yes Yes' सदन से आवाज)

प्रश्न संख्या ११६४

नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति तथा उनके द्वारा व्यय

श्री चाँदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कुल कितनी नगरपालिकाएं हैं ?

(ख) उक्त नगरपालिकाओं में कितनी ऐसी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है ?

(ग) प्रति व्यक्ति सबसे अधिक और सब से कम कर-भार वाली नगरपालिकाएं कौन-

[श्री चाँदमल मेहता]

कौन हैं और वहाँ प्रति व्यक्ति कर का बोझा कितना-कितना है ?

(ड) ऐसी कौनसी नगरपालिका है जो प्रति व्यक्ति सबसे अधिक खर्च करती है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—(क) १४१।

(ख) लगभग १५।

(ग) सबसे अधिक कर अनुपात भार वाली हनुमानगढ़ तथा सबसे कम भारवाली सोजत और सागढ़ हैं जिनमें ६॥।) रु० तथा ॥) प्रति व्यक्ति कर-भार आता है।

(घ) रायसिंह नगर, जिसमें प्रति व्यक्ति खर्चा २०॥) आता है।

प्रश्न संख्या ११६५

श्री अध्यक्ष—श्री हंसराज भाटिया।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

प्रश्न संख्या ११६६

गंगानगर सत्याग्रह में सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी तथा नम्बरदारों को डिसमिस करना

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) गंगानगर सत्याग्रह में कितने सत्याग्रही गिरफ्तार हुये और कितने नम्बरदार डिसमिस हुये ?

(ख) उन पर कितना जुर्माना हुआ और उसमें से आज तक कितना वसूल हो चुका है ?

(ग) कितनी कुर्कियां हुईं और कितने लोगों का माल नीलाम किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—गंगानगर सत्याग्रह में ५६४ व्यक्ति गिरफ्तार हुए। कोई भी नम्बरदार डिसमिस नहीं हुआ। ५०,७५० रुपयों का जुर्माना हुआ जिसमें से १२,७६० रु. वसूल हो चुके है।

Page No.30

[श्री जयनारायण व्यास]

प्रश्न का आखरी भाग राजस्व विभाग से सम्बन्धित है जिसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री गुरूदयाल सिंह सन्धु—क्या यह सत्य है कि जब से जिन लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया तब से उन लोगों पर कुक्रिया की जा रही हैं?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने अभी प्रश्न के आखरी हिस्से के बारे में उत्तर दिया है कि यह प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित है और वहां से अभी सूचना नहीं मिली है।

श्री गुरूदयाल सिंह सन्धु—क्या यह सच है कि जिन लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया है उन पर झूठे मुकदमें चलाये जा रहे हैं और उनको हर प्रकार से तंग किया जा रहा है?

श्री जयनारायण व्यास—यह बिल्कुल झूठी बात है।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है?

श्री जयनारायण व्यास—झूटी बातों की जांच नहीं कराई जा सकती।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या हजारों आदमीयों की जमीनें नहीं छीनी जा रही हैं?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या बगैर जांच के मालूम हो जाता है कि झूटी बात है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या १२६७

गंगानगर जिले में हथियारों के लिए लाइसेन्स की दरख्वास्तें

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) जनवरी, सन् १९५२ से ३१ मार्च, सन् १९५४, तक गंगानगर जिले में हथियारों के लाइसेन्स के लिये कितनी दरख्वास्तें पेश हुई और उनमें से कितनी मंजूर हुई? वे दरख्वास्तें महकमा पुलिस व माल के पास कितनी बार भेजी गई? जो मंजूर हुई हैं उन पर कितने कारतूस रखने की मंजूरी हुई है? इतने कम कारतूस रखने की मंजूरी इस बोर्डर एरिया में देने का क्या कारण है?

(ख) जो दरख्वास्तें विचाराधीन हैं उनका फैसला कब तक हो जावेगा?

(ग) कितनी ऐसी दरख्वास्तें दफ्तर कलेक्टर में रोकी हुई हैं जिन पर एस० पी० गंगानगर सिफारिश कर चुका है और ये कितने अर्से से रोकी हुई हैं?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)— (क) ११,२००। १०३ दर्ख्वास्तों पर लाइसेन्स जारी किये गये। केवल दो बार। प्रत्येक को उसकी योग्यतानुसार १०० से २५० तक कारतूस दिये गये। राजस्थान में प्रत्येक हथियार को ५० से १०० तक कारतूस देने का नियम है, परन्तु डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट समय तथा व्यक्ति देख कर इस तादाद को घटा भी सकते हैं।

(ख) आवश्यक पूछताछ समाप्त होने पर।

(ग) ऐसे केवल १३ केस हैं, उनमें कार्यवाही जारी है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—११,२०० दर्ख्वास्तों में से केवल १०० पर ही कार्यवाही करने का क्या कारण है ? बची हुई बाकी क्यों रखी गई हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—११२०० एप्लीकेशन्स आई वे सब सेप्टेम्बर १९५३ में आईं। गवर्नमेंट ने यह हुक्म दिया कि हर एक एप्लीकेशन पर जो प्रेस्क्राइब्ड फोर्म पर आई हो, जाँच की जाय। क्योंकि एप्लीकेशन्स ज्यादा थीं, इसलिये जाँच में ज्यादा समय लगना स्वाभाविक है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या समझा जाय कि दूसरी दरख्वास्तें रिजेक्ट हो चुकी हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—जो जाँच के आधीन हैं वे रिजेक्ट नहीं हुई हैं। बाकी के बारे में सूचना मिली होगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—यह नहीं बताया गया कि जाँच किस तरह की गई ?

कु॰ श्री जसवन्तसिंह— अभी जवाब में यह बताया गया है कि मुख्यमन्त्रीजी द्वारा कि १०० कारतूस का लाइसेन्स दिया जाता है। क्या स्पोर्टिंग परपज़ के लिये यह काफी है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं अच्छा स्पोर्ट्समेन तो नहीं हूँ, लेकिन यदि नाकाफी है, तो माननीय सदस्य कह सकते हैं। सरकार इस पर विचार करेगी।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—क्या हमारे यहाँ से स्पोर्टिंग हटा दिया जायगा, क्योंकि एक आदमी को ५० या १०० कारतूस देंगे तो यह काफी नहीं होगा ?

श्री जयनारायण व्यास—स्पोर्ट्स हटाने की बात नहीं है। यदि ५०० या १००० कारतूस कम रहते हैं तो डिस्कस करने की बात है।

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—माननीय मुख्य मंत्रीजी जोधपुर के रहने वाले हैं ? क्या वे नहीं जानते कि जोधपुर या बीकानेर में डक शूटिंग में कितने कारतूस लगते हैं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन।

प्रश्न संख्या ११६८

किशनगढ़ और जयपुर के बीच में यात्री गाड़ियों के परमिट

श्री चाँदमल मेहता—क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) किशनगढ़ और जयपुर के बीच में कितनी यात्री गाड़ियों को (ट्रांसपोर्ट बस) चलाने के ५३-५४ के वर्ष में परमिट दिये गये ?

(ख) उक्त गाड़ियों की आज्ञा प्राप्त करनेवाले कितने व्यक्ति या फर्म ने उक्त लाइनों को अन्य फर्म या व्यक्ति के नाम ट्रांस्फर कर दिया है ?

(ग) क्या इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर दीगर व्यक्ति या फर्म को लाइन ट्रांस्फर करने का ऐसे व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त है ?

श्री रामकरण जोशी (यातायात मंत्री)—(क) २० (बीस)।

(ख) एक.

(ग) नहीं रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑथोरिटी से स्वीकृत प्राप्त करके ट्रांसफर किया जा सकता है।

श्री चाँदमल मेहता—कितनी गाड़ियों को ऐसी स्वीकृति प्राप्त है ?

श्री रामकरण जोशी—pardon ?

श्री अध्यक्ष—कितनी गाड़ियों की स्वीकृति प्राप्त हुई ?

श्री रामकरण जोशी—एक ने स्वीकृति प्राप्त की।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इसके अलावा और गाड़ियाँ भी हैं जिनकी स्वीकृति अस्वीकार की गई ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसी सूचना सरकार के पास नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या सरकार इस सम्बन्ध में जाँच करवाने को तैयार है ?

श्री रामकरण जोशी—ऐसा शक होने पर जरूर।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस प्रश्न के बाद शक मानते हैं ?

श्री रामकरण जोशी—प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया है।

Page No.33

श्री चाँदमल मेहता—क्या प्रश्न के दौरान के बीच बात की जाय उस बात को सही मानने के लिये माननीय मंत्री तैयार हैं ?

श्री रामकरण जोशी—अवश्य।

प्रश्न संख्या ११६६

करकेड़ी स्कूल के अध्यापकों का ५३-५४ के वर्ष में ग्रेड इन्क्रीमेंट।

श्री चाँदमल मेहता—क्या शिक्षा मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) ५३-५४ के वर्ष में करकेड़ी स्कूल में किन-किन अध्यापकों को इन्क्रीमेंट नहीं दिया गया ?

(२) उक्त इन्क्रीमेंट नहीं देने के क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मंत्री)—(१) श्री घीसालाल व श्री पीरबक्स को।

(२) श्री घीसालाल को नये ग्रेड में फिक्स कर दिया गया था और इसको १.४.५३ के पहले तक का ग्रेड इन्क्रीमेंट मिल चुका था। इसके बाद ऑडिट ऑफिसर ने उसके फिक्सेशन को उसका सर्विस रेकॉर्ड न मिलने के कारण काट दिया और सर्विस रेकॉर्ड तलब किया। सर्विस रिकार्ड बावजूद तलाश करने पर भी नहीं मिला। अतः मार्च सन् १९५४ में नया सर्विस रिकॉर्ड बनाया गया जिसके आधार पर फिक्सेशन मंजूर करवा कर बाकी ग्रेड इन्क्रीमेंट दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(३) श्री पीरबक्श ने पहले पुराने ग्रेड का चुनाव किया, लेकिन बाद में इसने नये ग्रेड के चुनाव के बाबत डिक्लेरेशन दे दिया। इस प्रकार विरोधी चुनाव किये जाने के कारण इसके ग्रेड इन्क्रीमेंट का मामला तहकीकात तलब हो गया। इस मामले में तहकीकात जारी है जिसको शीघ्र ही समाप्त करके फिक्सेशन का मामला तय कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री चाँदमल मेहता—पीरबक्स का मामला कितने वर्षों से विचाराधीन है ?

श्री भोलानाथ—उसका इन्क्रीमेंट १.१०.५२ में ड्यू होता था।

प्रश्न संख्या ११७०

सापला ग्राम (सरवाड़) में पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग की तजवीज

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री चाँदमल मेहता]

(१) क्या यह सही है कि ५३–५४ के वर्ष में सापला (सरवाड़ तहसील) ग्राम में पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग बनाने की तजवीज थी ?

(२) यदि हाँ, तो इसके लिए कितने रुपये स्वीकृत किये गये ?

(३) उक्त बिल्डिंग कब तक बनने की सम्भावना है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्यमंत्री)—(१) जी हाँ।

(२) ६०,०००।

(३) भवन बनाने का अब विचार छोड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ थाना नहीं बल्कि पुलिस चोकी ही है।

श्री चाँदमल मेहता—जो रुपये स्वीकार किये गये वे किस काम के लिये किये गये ?

श्री जयनारायण व्यास—पहले वहाँ पर थाना बनाने का विचार था इसलिये रुपये स्वीकार किये गये, लेकिन अब थाना वहाँ बनाना उचित नहीं समझा गया इसलिये वहाँ चौकी ही रहेगी।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि सापला गाँव में डकैती हुई थी उसमें पुलिस के हथियार छीन लिये गये थे और उसके बाद सरकार ने उचित समझा था कि वहाँ थाना बनाने की आवश्यकता है, इसलिये यह रकम स्वीकार की गई थी।

श्री जयनारायण व्यास—वहाँ पर थाना बनाया जाय या नहीं बनाया जाय, इस बारे में पुलिस विभाग की तरफ से जाँच हो रही थी। पी. डब्लू. डी. की तरफ से ६०,०००) रुपये इसके लिये रखे गये थे। पुलिस वहाँ पर थाना बनाना ठीक नहीं समझती इसलिये वहाँ पर चौकी ही रखी जायगी। चौकी के लिये यदि उचित समझा गया तो मकान बनाया जायगा। गाँव में और उसके आस-पास सुरक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया गया है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या यह सही है कि इन रुपयों को नागोर डिस्ट्रिक्ट में खर्च करना था इसलिये वहाँ नहीं खर्च किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास—नागौर डिस्ट्रिक्ट में तो यह रकम नहीं लगाई गई है। यदि लगाई गई हो और परबतसर तहसील में लगाई गई हो तो मुझे पता नहीं है।

प्रश्न संख्या ११७१

बीकानेर जेल में कैदियों को सुविधाएं

श्री गुरुदयालसिंह सिन्धु—क्या गृह मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

[श्री गुरूदयालसिंह सन्धु]

(क) बीकानेर जेल में राजस्थान बनाने से पूर्व कैदियों को क्या सुविधाएं थीं और अब वे क्यों खत्म कर दी गई हैं ?

(ख) कैदियों को अपने घर का तेल, घी और गुड़ का प्रयोग करने की आज्ञा क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास—बीकानेर जेल में राजस्थान बनने से पूर्व कैदियों को अपने घर से गुड़, शक्कर और घी अपने सम्बन्धियों द्वारा प्राप्त करने का अमलदरामद थी। उस समय का बाकायदा हुक्म उपलब्ध नहीं है। इस अमलदरामद को राजस्थान बनने के बाद अनुशासन या डिसिप्लिन के विचार से तथा निम्न कारणों से बंद कर दिया है:—

(१) सब जेलों के कैदियों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिये।

(२) कुछ लोग अपने घी और शक्कर को डेरे में छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे और फैक्ट्री में तथा अन्य जगहों पर अपने साथ ले जाते थे इसलिये फैक्ट्री में आते या वहाँ से जाते समय तलाशी लेना कठिन हो गया था।

(३) इस सामान के जरिये कैदियों में आपस में लेनदेन होने लग गया था और भ्रष्टाचार बढ़ने की संभावना थी। इन चीजों के साथ में बेजाब्ता चीजें भी छिपा कर रखते थे। इन्हीं कारणों से उनको घर से चीजें मंगाने की आज्ञा नहीं दी जाती।

श्री गुरूदयालसिंह सिन्धु—यदि ऐसी बात है तो जयपुर जेल में घर से चीजें मंगाने की छूट क्यों दी गई है ?

श्री जयनारायण व्यास—मुझे सूचना नहीं है कि जयपुर जेल के लिये इस तरह की छूट है।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार इस बात की जाँच करेगी कि जयपुर जेल में इस तरह की चीज़ है, और बीकानेर जेल में इसे क्यों बन्द किया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ, बीकानेर जेल में इस प्रकार की चीज़ को बंद किया गया है और जयपुर जेल में यह चीज चालू हो यह बात समझ में नहीं आई।

श्री गुरूदयालसिंह सन्धु—क्या जाँच करने के बाद यदि सरकार को मालूम हो जाय कि जयपुर जेल में कैदियों को घर से घी, शक्कर, गुड़ आदि मंगाने की छूट है तो क्या बीकानेर जेल में भी इस प्रकार की छूट दी जायगी ?

श्री जयनारायण व्यास—जी नहीं। जयपुर जेल में भी यदि इस प्रकार की चीज़ है तो आपकी कृपा से उसे बन्द कर दिया जायगा।

Page No.36

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार जेल-सुधार के लिये कमेटी बनाने की बात सोच रही है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह बिल्कुल अलग प्रश्न है।

प्रश्न संख्या ११७२

नगरपालिका गजसिंहपुर के चेयरमेन के विरुद्ध दरख्वास्तों पर कार्यवाही

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) गजसिंहपुर नगरपालिका के चेयरमेन के खिलाफ कितनी दरख्वास्तें सरकार के पास साल १९५३ में आईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(ख) चेयरमेन, नगरपालिका गजसिंहपुर, ने अपने नाम से कितने ठेके लिये ?

(ग) क्या सरकार उसकी निष्पक्ष जाँच कराने के लिये तैयार है ?

(घ) अगर हाँ, तो कब तक ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री):—(क) तीन; जिनकी जाँच करवा ली गई है।

(ख) चेयरमेन, नगरपालिका गजसिंहपुर, ने अपने नाम पर कोई ठेके नहीं लिये।

(ग) इसकी जाँच पहले ही करवा ली गई है।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७३

किशनगढ़ शहर के स्कूलों के चपरासियों को वार्षिक-वेतन वृद्धि

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि किशनगढ़ शहर की स्कूलों के चपरासियों को दो साल से इन्क्रीमेंट (increment) नहीं मिला है ?

[श्री चाँदमल मेहता]

(२) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री भोलानाथ (शिक्षा मन्त्री)--(१) हाँ, ग्रेड नहीं होने से तरक्की नहीं दी गई। अब कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

श्री चाँदमल मेहता—यह कार्यवाही कब तक खत्म हो जायगी ?

श्री भोलानाथ—अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, बहुत जल्दी ही हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७४

राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलेरी में अफसर और सिपाही तथा उनमें गढ़वाली

श्री सज्जनसिंह—क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे किः—

(अ) राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबुलेरी में (१) अफसरों की (२) सिपाहियों की कुल संख्या क्या है ?

(ब) इनमें राजस्थानियों के अलावा गढ़वालियों की संख्या क्या है ?

(स) अफसरों में से कितने गढ़वाली अफसर हैं और इन लोगों का फौज या पुलिस का कितना अनुभव है ?

(द) क्या ये गढ़वाली अफसर फौज के एक्स-सोल्जर्स हैं ?

(ह) यदि (द) का उत्तर 'ना' में है, तो क्या कारण है कि राजस्थान में इतने एक्स-सोल्जर्स तथा एक्स-ऑफिसर्स के होते हुए भी वे लोग बाहर से भरती किये गये हैं ?

(फ) क्या यह सही है कि इस फोर्स का प्रायः सब काम राजस्थान की सीमा की रक्षा करने का होने पर भी, इन युनिटों की कमांड अनुभव प्राप्त योग्य एक्स- ऑफिसर्स के मिलने पर भी प्रायः पुलिस अधिकारियों को ही दी जाती है ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(अ), (ब), (स), (द), (ह) सार्वजनिक हित में ये सूचनाएं देना अनुचित होगा।

(फ) हाँ, इस सेना का प्रारम्भिक उद्देश्य भारत व पाकिस्तान की सीमा की रक्षा व अपने दैनिक कार्य के अतिरिक्त गम्भीर अवस्था में न्याय व व्यवस्था बनाए रखना है, अतएव इन इकाइयों का दायित्व राजस्थान-पुलिस-सेवा के अनुभवी अधिकारियों के हाथों सौंपा गया है।

Page No.38

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७५

नये उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों को उद्योग के लिये भूमियें

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि नए उद्योग लगाने वाले व्यक्तियों को उद्योग के लिए जमीन प्राप्त करने में कई महीने लग जाते हैं ?

(२) यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(१) यह कोई आवश्यक नहीं। औद्योगिक कार्यों के लिए भूमि प्राप्त करने में कई महिने लग जाँय, यह अनिवार्य नहीं।

(२) भूमि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र रेवेन्यु विभाग, नगरपालिका और सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड के पास भेजे जाते हैं, जहाँ उन पर प्रस्तावित भूमि पर एतराजात पूछे जाते हैं। यही कारण है कि अधिक समय लग जाता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११७६

बनीपार्क कोलोनी (जयपुर) में स्ट्रीट लाइट का अभाव

श्री सज्जनसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार के ध्यान में है कि बनीपार्क कोलोनी में स्ट्रीट लाइट के अभाव में रात्रि के समय यातायात में जनता को बड़ी तकलीफ होती है और इस कारण से ही चोरियों की भी बड़ी बहुतायत है ? यदि हाँ, तो क्या वे उक्त कोलोनी में स्ट्रीट लाइट्स का प्रबन्ध करवाने की व्यवस्था करवा कर बनीपार्क के लोगों के इस कष्ट का निवारण करेंगे ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत शासन मन्त्री)—बनीपार्क में जरूर स्ट्रीट लाइट्स लगवाने के लिए सरकार ने हाल ही में धन-राशि स्वीकृत की है। जल्दी ही लाइट्स लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री नरेन्द्रसिंह् की भूख हड़ताल के तेरहवें दिन पर स्थगन-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—Before we come to the business of the day, I have received an adjournment motion today to the effect that—"The House do now adjourn to discuss the serious situation arising out of the thirteenth day of the hunger-strike of Shri Narendra Pal Singh." The motion for such adjournment motions must have relation directly or indirectly to the conduct or default on the part of the Government and must show some act of omission by Government. The motion given notice of by the Member does not disclose the details as to how the Collector has gone back on the contract agreed upon.

Apart from this, the question is whether the motion has created such a situation which warrants a preference over the proceedinxs of this House and the matter is of such considerable importance. This matte obviously rlates to a matter of a fast undertaken by a particular individual. The fast must have been justified on some grounds or the other. But, in my opinion, the fast undertaken by an individual in a particular part of a district or in relation to a particular incident in this case is not so very important as to warrant an adjournment of this House.

There are so many methods open under the Rules of Procedure and Conduct of Business, to draw the attention of the Hon'ble Members or the public by way of short-notice question or other things. I do not think that I should give my consent to this Adjournment Motion.

But still, I will like to have the Members of the House know by the member concerned of the Treasury Benches to throw some light in regard to the situation. If he wants he can do it now or before the adjournment of the Assembly, as is convenient to him, after gathering full facts; and on that if the Hon'ble Members do not feel satisfied they can table short-notice questions and other things for further information.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But the condition is reported to be precarious and it will to be too late to.....

श्री अध्यक्ष—I have taken into consideration all these things that is given in the notice and after mature consideration I have asked the Hon'ble member from the Treasury Benches to throw some light as to what is the state of affairs.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)—कल स्टेटमेंट दूंगा।

श्री अध्यक्ष—Now, we come to the business of the day ?

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री मुख्य मन्त्री द्वारा रखे गये, प्रक्रिया की नियमावली में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री उपाध्यक्ष—जो प्रस्ताव चीफ मिनिस्टर की ओर से नियम बनाने के बारे में प्रस्तुत है उस पर जिन-जिन ने संशोधन पेश किये उन्होंने अपनी-अपनी तरफ से इसके विषय में जो कहना था कह चुके। अब इस पर और भी विशेष बातें कहना चाहें तो वे सदस्य कहें। इसके बाद हाउस की सम्मति ली जावेगी।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्ष;.........

श्री जवानसिंह--इससे पहले कि माननीय सदस्य इस पर बोलें मैं यह जानकारी चाहूँगा कि जिन माननीय सदस्यों के एमेंडमेन्ट पेश नहीं हुए वे एमेंडमेन्ट क्या समाप्त हो गये, ऐसा समझा जाय ?

श्री उपाध्यक्ष—सब उपस्थित हो चुके हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक जानकारी मैं भी चाहूँगा कि समाचार-पत्रों में देखने में आया है कि सदन के उस तरफ बैठे हुए सदस्यों में से ५० सदस्यों ने हस्ताक्षर करके एक पत्र माननीय अध्यक्ष के सामने पेश किया है, इसकी ओथोरिटी पर क्या आप प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—यह बिजनेस से सम्बन्ध नहीं रखता और इस बारे में मेरी जानकारी भी नहीं है।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने रखा है उसमें तीन बातें बताई गई हैं।

पहली बात है, संविधान द्वारा रखी हुई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की पवित्रता की रक्षा; दूसरी बात है, सदन के अन्दर स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखना और तीसरी बात है, 'ए. बी. सी.' राज्यों में स्वीकृत परम्परा और नियमों में इस तरह की बात। अतः हमारे यहाँ भी कुल संख्या का पाँचवा हिस्सा अविश्वास के प्रस्ताव के लिए रखा जाना चाहिए।

Page No.41

[श्री तनसिंह]

इन तीनों बातों पर माननीय चीफ मिनिस्टर का प्रस्ताव आधारित है, विरोधी दल की ओर से कुछ संशोधन रखे गये और मेरा यह ख्याल है कि इस प्रकार के संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। थी वह इसलिये कि हम इस सिद्धान्त को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आवे तो इसे १/१० या १/५ या १/१६ की सदस्य संख्या खड़े होने के लिए आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। यदि स्वस्थ परम्पराओं के निर्माण का प्रश्न हैं, तब तो वह इसी तरह से हो सकती है। यदि यह कहा जाता है कि यह पद पवित्र है और उनकी पवित्रता को कायम रखना है तो मैं नहीं कह सकता कि यदि इस प्रकार का कोई अविश्वास का प्रस्ताव उनके विरुद्ध लाया जाता है तो सिर्फ अविश्वास के प्रस्ताव को लाने से अपवित्र हो जाता है। वह पवित्रता ही क्या जो दो या चार जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति समझे जावें या वे लोग जो अपने उत्तर-दायित्व को पूरा नहीं करते और गलत और झूठी बातों पर अविश्वास का प्रस्ताव लावें तो वह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पवित्रता हीन हो जांय, बल्कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की पवित्रता को, सत्य और वास्तविकता को १/५ के प्रस्ताव की ओट में दबाया जाता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह तो तभी हो सकता है जब इस प्रकार के प्रस्ताव को, जिसे माननीय चीफ मिनिस्टर ने रखा है, स्वीकार नहीं किया जावे।

दूसरी बात, इस प्रस्ताव के नीचे जो मुख्य भावना है वह यह है कि वे अपने आपको जिम्मेदार समझते हैं और बाकी जितने भी हैं उनको गैर जिम्मेदार समझते हैं। इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि १/५ सदस्य खड़े हों तभी वह जिम्मेदारी से एक प्रस्ताव को रख सकते हैं। एक आदमी चाहे कितनी ही महत्वपूर्ण बात बतावे, लेकिन उसकी बात नहीं मानी जाती जब तक कि ३२ सदस्य खड़े नहीं हो जावें। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति ३० आदमियों की बात नहीं मानी जाती है। ३० या १० आदमी गैर जिम्मेदार हो सकते हैं, वे अपनी सच्ची बातें बतावें तो; लेकिन जब तक ३२ आदमी खड़े नहीं होंगे तब तक उनकी सच्ची बात भी नहीं मानी जावेगी। यह बात ऐसी है जो गम्भीरतापूर्ण नहीं है और वे लोग स्वयं अपने आपको जिम्मेदार समझते हैं और दूसरों को गैर जिम्मेदार समझते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ सदस्य आये हुए हैं उन्हें सब यह मानकर चलना चाहिए कि, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उनको अनेक व्यक्तियों ने चुना है। अगर वे लोग यहाँ आकर झूठी बातें करें, और दूसरों पर कीचड़ उछालने की बातें करते हैं तो यह उनके ही हक में ठीक नहीं होगा। हमारे यहाँ कहावत है, 'जो कोयला खाता है उसका मुँह काला होता है'। यदि हम गैर जिम्मेदार हैं या गलती पर चलते हैं और दूसरों पर कीचड़ डालते हैं तो उसका असर हम पर ही पड़ेगा, क्योंकि पहले हम गैर जिम्मेदार होते हैं और उसके बाद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं।

Page No.42

[श्री तनसिंह]

तीसरी बात, ए. बी. सी. राज्यों के बारे में कही। उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि यह परिपाटी बिल्कुल गलत है। ए. बी. सी. दूसरे राज्यों में इस प्रकार की परिपाटी हो सकती है। फिर भी हमारे यहाँ पर हमारे सामने कई बार सवाल आता है तो पालियामेंट के कन्वेन्शन्स और रूलिंग्ज़ को यह कह कर टाल दिया जाता है कि यहाँ पालियामेंटरी रूलिंग्ज हम पर बाइन्डिंग नहीं है। दूसरे हाउस के रूलिंग्ज़ हम पर बाइन्डिंग नहीं है। तो फिर मै नहीं समझता कि ए. बी. सी. राज्यों की प्रथा के अनुसार यहाँ पर भी ऐसी ही प्रथा क्यों इस मामले में लागू की जाती है? जिस समय उन लोगों ने इस पर विचार किया होगा, जिस समय सोचा होगा, उस समय वातावरण क्या था और उस वातावरण में वह ठीक था या नहीं; उस वक्त ए. बी. सी. राज्यों के वहां जा कर और वहाँ की जानकारी ले कर उन पर विचार करने के लिये यह उचित समय नहीं है स्वस्थ परम्परा तभी कायम होती है, जब आप बिना संकोच के यह कहते कि ये प्रस्ताव यों ही रखते हैं विचार करने के लिए और इसके बाद में हम यदि यह विचार करेंगे कि १/५ सदस्य संख्या रहनी चाहिए या नहीं। आज यदि मुझे अध्यक्ष के प्रति घोर अविश्वास है। मेरे और अध्यक्ष के बीच में ऐसी बातें निकलें जो दूसरे व्यक्ति नहीं जानते हैं और यदि यह बात १/५ पर रखी जाती है तो मैं हर व्यक्ति को सदन के बाहर क्या बताता रहूँ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति मेरा अविश्वास है और वह इस प्रकार है उन्होंने यह गलतियें की। मैं नहीं समझ सकता कि यह एक योग्य व्यक्ति का काम है। यह उसके लिए शोभा की बात नहीं कि वह सदन के बाहर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध प्रदर्शन करता फिरे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लायक नहीं। अगर मेरे मन की बात बगैर कहे हुए ही उधर के लोग जान सकें तो बहुत ही अच्छी बात है। तब तो माननीय चीफ मिनिस्टर को जान लेना चाहिये कि हमारे मन में क्या और उनके मन में क्या है। यह जानने के बाद इस बात की आवश्यकता नहीं रहती कि १/५ सदस्यों की संख्या रहे। यदि एक मित्र की ओर से, विरोधी दल की ओर से आवाज आ रही है कि हमें अध्यक्ष के प्रति अविश्वास है, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, हमारे विधान में यह बात है कि वह अविश्वास के प्रस्ताव पर डिसकस करे। क्या कारण है कि उसके मार्ग में यह बाधा डाली जावे। १/५ सदस्य संख्या होगी तो उसका नतीजा वही होगा, जो कि यदि पानी रोकने की कोई चेष्टा करेगा या की जावेगी तो पानी को अपना दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा और उसका नतीजा यह होगा कि जिन चीजों को हम रोकना चाहते हैं, जिनकी प्रगति को रोकना चाहते हैं, जिन अच्छे परिणामों को रोकना चाहते हैं, वे विस्फोट के रूप में बन जावेंगे। आज के जमाने में प्रजातन्त्र का युग है। विधान के अनुसार कुछ नियमित सीमाओं में कहने का हक है तो फिर उसके इस हक को रोका जाता है। तो फिर उसको अपने हकों को हासिल करने के लिए इतिहास में यह देखा गया है कि उचित और अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता है और कई बार ऐसा होता है कि चीफ मिनिस्टर जैसे योग्य व्यक्ति को डेस्क पर तालियें बजा कर आॅर्डर आॅर्डर कहना पड़ता है। जब जब हल्ला होता है, वह इसलिए होता है कि जो शुद्ध और स्वस्थ

[श्री तनसिंह]

परम्पराएं हैं, कायम रहनी चाहिये या जो हक हमको हासिल हैं उनको करने में रुकावट होती है, तभी हल्ला होता है।

तो मैं इस उदाहरण से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि १/५ से आप हमारे मुंह पर ताला लगा सकते हैं, किन्तु इससे यह कभी नहीं हो सकेगा कि हमारे दिल पर भी ताला लग जाय। हमारे मन की जो भावनाएं होंगी वे तो कुन्ठित नहीं होंगी, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस प्रकार से स्वस्थ परम्पराएं कायम नहीं हो सकती हैं, चाहे आप, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पवित्रता को बनाये रखें। जहां तक स्वस्थ परम्पराओं को बनाने का सवाल है, हमें उदारता से इस प्रश्न को हल करना चाहिए और उसके लिए एक ही बात हो सकती है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी आगे बढ़ कर कहें कि स्वस्थ परम्पराओं को कायम करने के लिए इतनी उदारता दिखायें कि वे इसको वापिस ले लें और डिस्कशन के बाद फिर उस पर जैसा निर्णय होगा वैसा होगा। मैं इतने ही चन्द शब्दों के साथ माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि उनका यह प्रस्ताव लाने का आधार यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की पवित्रता का ध्यान रखना है और स्वस्थ परम्पराओं को कायम रखना है। यदि यही उद्देश्य है तो इस प्रस्ताव के पास होने पर इस उद्देश्य का खण्डन ही होता है, मंडन नहीं होता।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आने पर १/५ सदस्यों का समर्थन करना बहुत जरूरी है। इसके विरोध में माननीय विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन रखा है कि १/५ न होकर १/१० रखा जाय, मैं उसका समर्थन करता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष, यह अविश्वास का प्रस्ताव इस सदन में कोई पहली बार नहीं आया है। अविश्वास का प्रस्ताव पहले भी आ चुका है और उस वक्त यह सवाल पैदा नहीं हुआ कि उसके अन्दर १/५ रखा जाय। जो रूल्स थे उनके मुताबिक ही काम में आया। मुझे इस बात का सख्त अचम्भा होता है कि १/५ करने की नौबत क्यों आई ? इसका खास कारण मैंने सोचा और मैं इसको ध्यान में लाया तो यही हो सकता है कि विरोधी दल की जो संख्या पहले ७६ थी वह अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और ४० तक रह गई है और सरकारी बेन्चों की ओर से यह सोचा गया हो कि न तो २५-३० की संख्या होगी और न किसी की तरफ से उठाया हुआ प्रस्ताव ही पास होगा क्योंकि सरकारी बेन्चेज़ के ऊपर हमेशा व्हिप इश्यू हो जाया करता है और वे उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। इस तरह से यह प्रस्ताव लाकर हमेशा के लिए ऑपोजिशन वालों का मुंह बन्द करने की उन्होंने सोची है। इससे क्या होगा कि कोई भी सदस्य किसी बात के लिए जो कि बिल्कुल सही और वाजिब होगी, सदन में उठाना चाहेगा तो वह नहीं उठा सकेगा क्योंकि ३२, ३३, ३५ की संख्या नहीं होगी। इसलिए मैं विरोधी दल के नेता ने जो एमेन्डमेन्ट, संशोधन, रखा है कि १/५ की एवज में १/१० कर दिया जाय उसका समर्थन करता हूँ।

[श्री सन्तोषसिंह कछवाहा]

इसके बाद में, मैं यह कहना चाहूंगा कि यहां पहले बहुत से वक्ताओं ने कहा कि यह प्रस्ताव न रखा जायगा तो हम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ वक्तन फवक्तन खिलवाड़ करेंगे और छींटाकशी करेंगे। तो, माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में जितने भी सदस्यगण आए हुए हैं वे इसलिए नहीं आए हैं कि फालतू छींटाकशी करें। वे वास्तविक बात सदन में कहने आए हैं और जो आदमी वास्तविक बातें कह नहीं सकता है तो उसका यहाँ आना फिजूल सा हो जाता है। अगर सदन की परम्पराओं को कायम रखने की बात, जैसी कि कही गई है और अच्छाइयों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तो, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिए माननीय मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि १/१० का जो एमेन्डमेन्ट रखा गया है उसको वे मान लें, और अभी अखबारों में मैंने पढ़ा कि माननीय अध्यक्ष इस सम्बन्ध में इस्तीफा भी दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उपाध्यक्ष भी इस पथ पर चलने की कोशिश करेंगे।

(विरोधी पक्ष की ओर से 'हियर, हियर')

इस सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पेश होने के सही दिन के पहले ही यदि इस चीज के खतरे से बाहर हो जायेंगे तो मैं समझता हूँ कि यह सदन जरूर महसूस करेगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की यह स्प्रिट थी कि आप सदस्यों का अपने खिलाफ सुनना नहीं चाहते और अपना पद इस तरह से छोड़ने के लिए, पद से हटने के लिए तैयार हैं। इससे अच्छी परम्परा और जगह नहीं हो सकती और मेरा यह खयाल है कि यह होना अच्छा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर १६ सदस्यों का कौरम रखा गया है और इन १६ सदस्यों की उपस्थिति में सदन का काम सुभीते से चल सकता है। यदि १६ सदस्य सदन में उपस्थित हों तो वे १६० सदस्यों का काम दे सकते है। इस सरकार का यह सदन बड़ा से बड़ा काम और ऊंचे से ऊंचा प्रस्ताव; यहां तक कि बजट भी १६ सदस्यों की उपस्थिति में पास कर सकता है। तो मैं नहीं समझता कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आये तो उसके लिए उससे अधिक संख्या बढ़ाई जाय, तो यह कोई महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात यदि १६ सदस्यों की उपस्थिति में हो सकती है तो १६ से अधिक अविश्वास के प्रस्ताव को पास करने में नहीं होनी चाहिए और यदि यह पास किया जायगा तो यह सदन के लिए सोचनीय बात होगी और लोग बुराई की दृष्टि से इसको देखेंगे। सारा काम यदि १६ सदस्यों से हो सकता है तो फिर २५, ३०, ३५ की संख्या क्यों रखी जाय? इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सदन के अन्दर आये हुए सदस्यों की बातों को सुनने के लिए और उनके विचारों को सदन में व्यक्त करने के लिए, उनको पूरा मौका देने के लिए १/१० का जो एमेंडमेंट, जो संशो, विरोधी दल के नेता ने रखा है, उसको वे एकदम स्वीकार कर लेंगे और मैं आशा करता हूँ कि मुख्य मन्त्रीजी इस काम के लिए बिल्कुल तत्पर होंगे।

श्री अबनिकुमार मुकर्जी—मैंने भी इस सम्बन्ध में संशोधन रखा था किन्तु मैंने उस संशोधन को मूव करना वाजिब नहीं समझा। माननीय विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन रखा है उसके सम्बन्ध में दो-चार बातें कहना चाहता हूँ।

यह मेरे लिए अब कहने की आवश्यकता नहीं रही की अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव क्यों आया? मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में काफी रोशनी डाल दी है, इसलिए मुझे इसमें अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो प्रस्ताव की वैधता के बारे में दो-चार शब्द कहना चाहता हूँ।

यह प्रस्ताव २१ मई को आया था। २१ मई प्राइवेट मेम्बर्स बिजनिस डे था। अब तक माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने यह स्पष्टीकरण नहीं किया है कि यह प्रस्ताव किस रूप में लाया गया? या तो यह प्रस्ताव प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस डे में एक resolution के रूप में सिलसिलेवार आता या यह सब्स्टेन्टिव मोशन के रूप में आता। अतः इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि यह प्रस्ताव कैसा है और किस प्रकार आया? यदि प्राइवेट मेम्बर्स बिजनिस डे में इसको लाना चाहते तो वे नहीं ला सकते थे क्योंकि जब बिजनेस तय होता है तो पहले ballot होकर फिर सदस्यों के नाम से अलग-अलग अलाटमेंट होता है। उस दिन इसका नामोनिशान भी नहीं था। इसलिए यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह एक resolution के रूप में सदन के सामने नहीं आया—अब अगर यह कहते हैं कि एक substantive motion के रूप से आया तो इसके लिये जो नोटिस की आवश्यकता है वह भी बराबर नहीं दिया गया।

इसके अलावा दो-चार शब्द और कहना चाहता हूँ। उन्होंने अपने प्रस्ताव में यह कहा है कि स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिए यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा जा रहा है। मैं समझता हूँ ऐसे प्रस्ताव रखने से स्वस्थ परम्परा कायम नहीं होगी, बल्कि डेमोक्रेसी का खून होगा। ऐसा प्रस्ताव पेश करके विरोधी दल की आवाज को दबाने की चेष्टा की जा रही है। विरोधी दल का यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में किसी प्रकार का अविश्वास हो या उनके बर्ताव से विरोधी पक्ष असन्तुष्ट हो तो विरोधी दल इस संख्या के कायम करने के बाद अपना अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकता, जब तक कि उसके पास इस प्रस्ताव में बताई हुई संख्या न हो। आज विरोधी दल की संख्या घट चुकी है। साधारणतया यह देखने में आता है कि विरोधी दल के ३२-३३ सदस्य कभी भी सदन में उपस्थित नहीं रहते, इसी बात को ध्यान के रखते हुए यह प्रस्ताव लाया गया है। इससे विरोधी दल के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका ही न मिले, यही आशय इस प्रस्ताव के रखने से स्पष्ट हो जाता है।

हाउस के अन्दर कोई भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो या बिल हो, वह कोरम के पूरा होने पर लिया जा सकता है। ऐसी हालत में समझ में नहीं आता कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आता है, तो उसके लिये ३२ की संख्या खासतौर से क्यों रखी गई? इस सिलसिले में मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ कि भारतीय लोकसभा में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के लिये कोई अविश्वास

[श्री अवनिकुमार मुकर्जी]

का प्रस्ताव लाता है तो पार्लियामेंट के नियमों के अन्दर यह है कि उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिए हाउस के मेम्बरों की १/१० संख्या की आवश्यकता होती है। आज हमारे पार्लियामेंट के मेम्बरों की संख्या करीब ५०० है। वहाँ के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव यदि कोई लाता है तो उसकी बहस के लिए ५० सदस्यों की सम्मति आवश्यक है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि यहाँ १/५ क्यों रखा जाता है ?

तीसरी बात यह है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के जो पद हैं वे बहुत जिम्मेदारी के पद हैं। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यदि विरोधी दल के अधिकारों की रक्षा नहीं करते और उसके अधिकार कुचलने के लिए तैयार रहते हैं, तो यह एक प्रकार से विरोधी दल के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। सरकारी बेन्चेज़ के लिए इतना महत्वपूर्ण न हो किन्तु विरोधी दल के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मन्त्री से अनुरोध करूँगा कि वे इन बातों का स्पष्टीकरण करें कि हाउस के सामने जो यह प्रस्ताव रखा गया है वह प्राइवेट मेम्बर्स बिज़नेस के तौर पर रखा गया है या सबस्टेन्टिव मोशन की तौर पर है ? अगर माननीय मुख्य मन्त्री हमारी इन दलीलों को मानने के लिए तैयार नहीं तो कम से कम लोक सभा के अन्दर जो नियम हैं उसी प्रकार यहाँ भी रख लिया जाय। इतना कहकर मैं विरोधी दल के नेता ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूँ।

श्री हरदत्त--उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के प्रस्ताव के ऊपर विचार इस सदन में हो रहा है। इसमें जो प्रतिबन्ध लगाये जा रहे हैं इसका भविष्य में क्या असर होगा इस पर अवश्य विचार करना चाहिये। राजस्थान असेम्बली में रूल्स के अन्दर ऐसा प्रतिबन्ध दिखता नहीं था, अब भविष्य के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है। इसके लिये हमें यह देखना है कि दूसरे प्रान्तों के अन्दर जो नियम कार्य कर रहे हैं, उनका यहाँ पर लागू करना हमारे हित में कहाँ तक ठीक होगा, इस राजस्थान की परम्परा को कहाँ तक निभायेंगे ? यह ऐसी बात है, जिन पर हमें अवश्य विचार करना चाहिये।

सब से पहले जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव होता है उस समय यह कोशिश की जाती है कि ये व्यक्ति यूनेनिमसली चुने जाँय, सब लोग एक मत होकर इनको चुनते हैं। इसका कारण यह है कि ये ऐसे पद हैं कि इन पदों पर जो आरूढ़ होते हैं उनमें सब सदन के सदस्यों का पूर्ण रूप से विश्वास होना चाहिये। अगर एक भी सदस्य अविश्वास करता है तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को यह महसूस होता है कि उसने अपने फरायज को अन्जाम देने में कुछ न कुछ ऐसी कमी की है जिसकी वजह से एक सदस्य को उनमें अविश्वास होता है, और वे इसको पसन्द नहीं करते। मैंने तो पहले भी यह सुना है और इसी जगह ही सुना है कि यदि इस सदन का एक सदस्य भी अविश्वास प्रगट करता है तो मैं अपने पद से त्यागपत्र देने के लिये सदैव तैयार हूँ। ये विचार ऐसे हैं जो इस पद की पवित्रता के अनुकूल हैं। जो यह समझते हैं कि अपने फरायज को पूर्ण रूप से अन्जाम देते हुए निष्पक्षता को कायम रखना है उनकी इस प्रकार की भावना होनी ही चाहिये। अगर वे दृढ़ विश्वास

[श्री हरिदत्त]

रखते हैं कि उनकी तरफ से किसी भी पक्ष के साथ इरादतन पक्षपात का बरताव नहीं होता है, तो इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है कि इसके साथ इतने सदस्य अवश्य होने चाहिये इसके मायने यह हुए कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो पवित्र विचारों को लेकर शुरू में आये उनकी तबियत में यह पैदा हो जायगा कि इतना हिस्सा उनके खिलाफ न होगा तब तक उनके विरुद्ध किसी प्रकार का प्रस्ताव आ ही नहीं सकता। एक तरफ तो उनका यह ख्याल है कि एक भी सदस्य उनके प्रति अविश्वास प्रगट करता है तो वे अपने पद को त्याग देंगे और दूसरी तरफ इस प्रकार का प्रतिबन्ध; ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती हैं। इस प्रकार के प्रस्ताव से उनके विचार बदल सकते हैं। अक्सर अविश्वास का प्रस्ताव अपोजीशन के तरफ से आया करते हैं, विरोधी पक्ष को हर बात में कुछ न कुछ चाहे वह केवल विरोध करने के लिए ही हो या किसी और कारण हो, विरोध करना है। जब तक विरोधी पक्ष सरकारी पक्ष की कमियों को पॉइन्ट आउट नहीं करता है तब तक वह अपने फरायज को ठीक तरह से अन्जाम नहीं दे सकता। अगर ऐसा कानून लगा दिया जाता है तो यह सदन के लिये शोभा नहीं देता। इससे आप यह देख लीजिये कि जब से अपोजिशन वीक पड़ गया तब से अखबारों में हमारे सदन की कार्यवाही नहीं छापी जाती। जब तक अपोजिशन स्ट्रांग था तब तक अखबारों में सदन की कार्यवाही बड़ी खुशी से छापते थे। जनता भी यह जानने को उत्सुक रहती थी कि सदन में क्या कार्यवाही हो रही है, किन्तु अब अपोजिशन के कमजोर पड़ जाने से जब अखबारों में कार्यवाही नहीं छपती तो जनता भी इस बात को जानने की उत्सुक नहीं कि सदन में क्या कार्यवाही हो रही है। इसलिये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कर्तव्य हो जाता है कि अपोजिशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें। अगर विरोधी पक्ष अनुचित बात भी करता है तो उनको सुना जाना चाहिये और उनको अवश्य अपनी बातें कहने के लिये समय देना चाहिये, ताकि अपोजिशन बाकायदा बना रहे और सदन की कार्यवाही को जनता महत्व दे। कुछ अरसे से यह अवश्य महसूस होता है कि हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय अपोजिशन की बातों को कम सुनते हैं, उनके साथ उक्त प्रकार से भेदभाव का बरताव करते हैं। इसीलिये इस बात की नौबत आई है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लायें और इन बातों को रोकने के लिये, इस प्रकार का प्रतिबन्ध लगाने के लिये यह प्रस्ताव सदन के सामने लाया गया है। संशोधन में 'one-fifth of the strength of the house' रखा गया है। इसके मायने यह होंगे कि जो व्यक्ति या मेम्बर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास की भावना रखते हैं वे जब तक अपने पक्ष में ३२ की स्ट्रेंग्थ पूरी नहीं करते हैं तब तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं ला सकते। इसके लिए उन्हें अन्य सदस्यों की भावना को प्रचार द्वारा बदलना होगा। तो इस प्रकार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद के प्रति जो पवित्र भावना रहती है वह जाती रहेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसा शुरू में हमने रखा है उसी प्रकार रहना चाहिये, किसी प्रकार की लिमिटेशन या प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहिये। अगर वे इसको इस प्रकार नहीं रखना चाहते हैं तो अपोजिशन के नेता ने जो अमेन्डमेन्ट रखा है वह उचित होगा। १/१० रखना हितकर होगा। यह मेरे इस संबन्ध में विचार है जो सदन के सामने उपस्थित किये हैं।

श्री भोपालसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो यह प्रस्ताव रखा है यह अपोजिशन को कतई अपने विचार प्रकट नहीं करने देने के लिए रक्खा है। आपको यह सोच लेना चाहिये कि अपोजिशन के प्रस्ताव रखने मात्र से ही उनकी जो मंशा है वह हल नहीं हो सकती है क्योंकि आपकी संख्या बहुत ज्यादा है और अपोजिशन की इसके मुकाबले में कुछ नहीं है। आपकी संख्या कम नहीं होने वाली है। मगर जो हमारे विचार हैं उनको प्रकट करने में आपको क्यों अड़चन डालनी चाहिये? आप उसको क्यों रोक रहे हैं, यह हमारी समझ में नहीं आया। इसलिए मेरी आपसे यह अर्ज है कि हम यह नहीं चाहते कि हमारे जो ऐसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं जिनको हम न्याय करने वाले समझते हैं, आपमें उनसे ज्यादा न्याय करने वाला कोई नहीं दीखता है, उनको यहाँ से हटा दिया ही जावे, पर हम तो केवल इतना भर चाहते हैं कि कभी-कभी अगर कुछ अन्याय विरोधी पक्ष के साथ जान या अनजान में हो जावे तो उसके लिए हम अपने भावों को प्रकट करना चाहें तो हमारे उन भावों को प्रकट करने में रोक नहीं लगानी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मेरी माननीय मुख्य मंत्री महोदय से यह प्रार्थना है कि आप अपना प्रस्ताव वापिस लेलें। हम भी अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे।

(श्री घोसीसिंह के खड़े होने पर राज्यपक्ष के सदस्यों द्वारा मना करने पर)

एक माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष)—बोलने दीजिये इन्हें भी।

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मंत्री)—देर हो जावेगी आपकी स्पीचों का उत्तर देने में। इसलिए इधर से उत्तर मैं अकेला ही दे दूँगा, औरों की जरूरत नहीं रहेगी। आपका उत्तर पूरा हो जावेगा।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैंने रक्खा है उसके सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के मित्रों ने बहुत सारी बातें कही हैं। मैं समझता हूँ कि वे बातें ठीक तरह से कही गई हों, ऐसा मुझे नहीं लगता। बल्कि कुछ बातें इस तरह से तोड़-मरोड़ कर भी कही गई हैं कि जिससे जो वास्तविकता है उससे सदन को दूर ले जाया जावे और भवन में सदन को ही नहीं, मैं भी वास्तविकता के विपरीत कुछ बातें स्वीकार कर लूं, ऐसी प्रेरणा मुझे भी दी जावे।

अब यह प्रस्ताव गैर सरकारी है या सरकारी है इत्यादि बातें करना, मैं समझता हूँ कि सदन का अपमान होगा। यह बात समझना मैं जरूरी नहीं समझता क्योंकि अगर यह बात मैं समझाना चाहूँ तो नियम की धाराएं और दूसरे बिल या mayes पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस की बातें बहुत सी मैं भी सदन में बता सकता हूँ, पर इसमें मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—वह भी बता दीजिये।

श्री जयनारायण व्यास—This is a School Master's job.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The Chief Minister had been a school master.

श्री जयनारायण व्यास—For small boys younger in age than my friend. I don't want to take this House as a School and treat the Hon'ble Members as small boys of class VIII.

श्री हरिकृष्ण व्यास—But the Hon'ble speaker would like to be a School Master.

श्री जयनारायण व्यास—इसलिये मैं पहली बात तो उसूलन यह कहना चाहता हूँ, जैसा श्री तनसिंह जी ने कहा कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के अन्दर अविश्वास के प्रस्ताव के बारे में किसी तादाद में लोगों को खड़ा रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये। मुझे इस बात की खुशी है कि 'रहना चाहिये' यह सबों ने स्वीकार किया है। यह प्रश्न अलग है कि किसी ने कहा कि १/२० हो, १/४० हो; जैसा कि श्री महार का सुझाव था। श्री हरिकृष्ण ने कहा १।१६० हो, लेकिन खड़े रहने के लिए कुछ तादाद का रहना जरूरी है यह बात सबने मानी है। यह उसूल तो करीब-करीब सबों ने माना है। मेरे मित्र जसवन्तसिंहजी ने १/१० माना है, त्यागीजी ने १/१२ माना है और मानसिंहजी ने रखा नहीं संशोधन, पर बदकिस्मती से ऐसी घटना हो गई कि उन्होंने १/१५ माना है, भैरोसिंहजी और यशोदादेवी ने १/१६ माना है, अवानसिंहजी ने १/१२ माना है और गोपालाल जी यादव ने ५० की टेकरा टोटल नम्बर विरोधी दल का दूसरी संख्या के अलावा माना है। श्री हरिकृष्ण ने १/२० माना है पर उनकी तैयारी ऐसी भी है कि १/१६ हो तब भी काम चल जावेगा, उनका तो। ये सारी बातें इस बात की द्योतक हैं कि यह तो सबों ने माना है कि कुछ संख्या तो निर्धारित होनी चाहिये।

अब कौनसी संख्या होनी चाहिये, यह दूसरा प्रश्न है। अगर चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर के खिलाफ कोई संख्या निर्धारित है तो वह है २५, लेकिन हमारे दूसरे मित्र कहते हैं कि अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के खिलाफ अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाना हो तो उसके लिए २५ नहीं १६, १८; बल्कि सोलह से भी कम होनी चाहिये। १६ जसवन्तसिंहजी ने मानी है बाकी सब में कम होनी चाहिये, इस तरह की बात कही है। ऐसी हालत में जो मिनिस्टर के खिलाफ संख्या है उससे कम संख्या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये हो, यह बहुत वाजिब या समझदारी की बात नहीं हो सकती।

अब यह कहा जाता है कि साहब, एक भी आदमी अगर अविश्वास जाहिर करे तो कुर्सी छोड़ कर चले जाना चाहिये, शान की बात तो यह है। इस शान के लिए पहले तो अध्यक्ष चले जावें, फिर उपाध्यक्ष, फिर चीफ मिनिस्टर और फिर मिनिस्टर, एक-एक करके एक भी आदमी कहे तो अपने-अपने पद छोड़कर चले जावें, उस सामने की फाटक से नहीं इस (पास की) फाटक से क्योंकि यह नजदीक है। मैं समझता हूँ कि इस तरफ की सलाह मीठी हो सकती है देने वाले के लिये, पर देश के हित में, प्रान्त व जन हित में, और मुकम्मिल व्यवस्था के हित में यह कतई उचित नहीं है। अगर ऐसी प्रवृत्ति चल पड़ी तो मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ कि ऐसी राय देने वालों की संख्या में कमी नहीं होगी और हमेशा उनकी इसी प्रकार की सलाहों में इस सदन का काम चला

[श्री जयनारायण व्यास]

जावेगा। आज अध्यक्ष की बारी आ सकती है, कल उपाध्यक्ष व परसों चीफ मिनिस्टर के जाने की नौबत आ सकती है, फिर अगले दिन दूसरा मिनिस्टर गया और इस तरह से यह पूरा का पूरा हमारा सदन "कोर्ट हाउस' और एडवाइजरी कमेटी के रूप में परिणत हो जावेगा। मैं समझता हूँ कि इस तरह से यह सदन और यह गवर्नमेंट एक एडवाइजरी कमेटी के रूप में परिणत हो जावेगा जिसमें कोई व्यवस्था का नाम नहीं रहेगा।

राम-राज्य में यह चलन था, यह हमारे एक भाई ने कहा है और रामराज्य में चूंकि एक किसी धोबी ने कह दिया कि सीता तो ऐसी थी, वैसा थी, महाराज रामचन्द्रजी ने मान लिया और अपनी परीक्षा के लिए सीता को कह दिया। मैं यह पूछना चाहता हूँ आपसे कि फर्ज करो माननीय सदस्यों पर कोई यह आरोप लगा दे, उस धोबी का जिस तरह से सीताजी के प्रति आरोप था, उसी तरह से आपकी स्त्रियों और गृहणियों के प्रति भी आरोप है, या आपके प्रति वैसा ही आरोप है तो क्या आप अपनी स्त्रियों को परीक्षा में डालेंगे या आप भी परीक्षा में पड़ेंगे। तो यह राम-राज्य की बात कहना गलत बात है। राम-राज्य ठीक है, एक जमाने में वह आदर्श था, राम एक बिलकुल सुसंस्कृत थे, देवता थे वे जो कुछ करते थे वे, वेही कर सकते थे। उनकी बातें बहुत ऊंची हैं। पर उन्हीं की बातों को हम मनुष्यों में सामान्य आदमियों में डाल देना और चूंकि उन्होंने अपनी पत्नी को परीक्षा में डाल दिया एक आदमी के कहने से, उसी तरह से आप भी अपनी देवियों को परीक्षा में डाल दो, ऐसा कहना कोई उचित नहीं है। एक आदमी यह भी कहदे कि शीर्षासन करो, ऊंचे पांव और नीचा सिर करके खड़े रहो पर आप भी कह देंगे कि अभ्यास से फायदा तो बहुत ऊंचा है पर यह अभ्यास हमें अच्छा नहीं लग रहा है। पर चूंकि इससे सारे फायदे ही फायदे हैं इसलिए करो तो मैं आपको ऐसे बहुत से अभ्यास बता सकता हूँ, आप उन्हें हर दिन हर बात में अपने जीवन में प्रयोग में लाओ; मैं आपकी बहुत तारीफ करूंगा। पर ऐसी बात करने से कोई फायदा नहीं। इसमें कोई औचित्य नहीं है।

माननीय जसवन्तसिंहजी ने कहा था कुछ टंडनजी की मिसाल देकर। वह भी करीब-करीब रामराज्य जैसी ही मिसाल थी। उन्होंने यह कहा कि अगर मुझे यह मालूम हो जावेगा कि एक भी सदन का सदस्य मेरे खिलाफ है तो मैं तो उसी क्षण अपना पद छोड़ दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर ऐसी बात थी तो फिर वहाँ यह नियम क्यों लागू है? यह ठीक है कि भावना जाहिर करने की दृष्टि से यह कहा हो कि वास्तविक रूप में लोग विरोध में हों तो क्यों रहना चाहिये और विरोध में चले जावें तो रोक नहीं सकते हैं। पर जब कायदे-कानून बनाने की बात होती है तो भावना काम नहीं देती। टंडनजी उत्तर प्रदेश के स्पीकर थे और वहाँ भी सीमा निर्धारित है वह १/५ है; तो अगर टन्डनजी की अध्यक्षता में जो सीमा काम करती रही वही सीमा आप स्वीकार कर लें, और टन्डनजी की सीमा को ही आदर्श मान लीजियेगा।

श्री हरीकृष्ण जी व्यास ने कहा कि अपोजिशन की राय जाहिर करने के लिए इनका गला घोंटना नहीं चाहिए, राय जाहिर करने का मौका मिलना चाहिए। हमारे

[श्री जयनारायण व्यास]

स्वराज्य आने के बाद में एक ही ऐसा राज्य है जिसमें कि कुछ कॉम्युनिस्टों का भी हाथ रहा। वह ट्रावनकोर कोचीन है जहाँ कि युनाइटेड फ्रन्ट कुछ दिन तक काम करता रहा और अब पी.एस.पी. वहाँ काम कर रही है।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—एक दिन भी युनाइटेड फ्रन्ट ने वहाँ काम नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्री जी की सूचना गलत है।...

श्री जयनारायण व्यास—जिनकी बात कर रहे हैं वह काम नहीं कर सकी है, लेकिन बना जरूर है।...

श्री हरिकृष्ण व्यास—So they can't be made responsible for the mis-deeds of the Congress.

श्री जयनारायण व्यास—They are responsible for their own mis-deeds and suffer their own consequences and, therefore, they could not come.

काँग्रेस के मिसडीड्स का क्वेश्चन नहीं था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यूनाइटेड फ्रन्ट जिस वक्त बनाया जा रहा था, इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त वहाँ उन्होंने एलान नहीं किया था कि १/३ का कोरम जो खड़े होने का है वह १/३ का नहीं रहेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह मैं आपको सूचित करता हूँ कि if, however, the United Front comes in power this rule is going to be quashed.

श्री जयनारायण व्यास—This is an after-thought which should have been thought earlier.

श्री हरिकृष्ण व्यास—It is for the Congress to decide unfortunately.

श्री उपाध्यक्ष—Order! Order!!

श्री जयनारायण व्यास—अब मैं दूसरे राज्यों की कुछ बातें हैं, जैसे बंगाल में १/३ है, ट्रावनकोर में जैसा कि मैंने कहा १/३ है, हैदराबाद में १/४ है, मध्यभारत में १/४ है, यू० पी० में १/५ है, मद्रास में १/५, विन्ध्य में १/५ है और हिमाचल में १/५ है; दुनियाँ भर में १/५ से काम चलता है तो राजस्थान में जो है वहाँ १/५ से...

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—What about the Indian Parliament?

श्री जयनारायण व्यास—मैं अभी प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, पालियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। वह सेन्ट्रल पालियामेंट है। मैं प्रोविन्शियल संस्थाओं की बात कर रहा हूँ। पालियामेंट

[श्री जयनारायण व्यास]

में १/१० है। पार्लियामेंट की तादाद इतनी बड़ी है कि १/१० रखना पड़ा है; लेकिन हमें जहाँ कि तादाद इतनी नहीं है वहाँ से मुकाबला करना पड़ेगा।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—यू० पी० की तादाद क्या है?

श्री जयनारायण व्यास—पार्लियामेंट से कम है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—पार्लियामेंट से थोड़ी ही कम है।

श्री जयनारायण व्यास—The question does not arise.

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह सूचना चाहता हूँ कि जो रूल्स रेफर किए जा रहे हैं वे कॉन्स्टीट्यूशन के बाद बने हुए हैं या पहले के ही लागू हैं?

श्री जयनारायण व्यास—वे कॉन्स्टीट्यूशन आने के बाद भी लागू हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बने कब हैं?

श्री जयनारायण व्यास—कब बने और कब एमेंड हुए, यह क्वेश्चन मेरे सामने नहीं आता, उन क्वेश्चन्स से मेरे जवाब में कोई गड़बड़ नहीं होती।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—What is the spirit of the Constitution?

श्री जयनारायण व्यास—I can understand the interference.

इन्टरप्शन्स (interruptions) का मैं बहुत आदि हूँ। मेरा खयाल है कि इन्टरप्शन्स होते रहें। I would ignore the interruptions.

तो मैं यह कह रहा था कि सारी दुनिया से नहीं, हम तो प्रदेशों से मुकाबला करें; पार्लियामेंट से नहीं करें। अगर पार्लियामेंट से करें तो हम मदर ऑफ पार्लियामेंट्स, जिसका कि जिक्र कुँवर जसवन्तसिंहजी ने किया था उसमें भी १/५ है। जब पार्लियामेंट का मुकाबला है तो मैं उस पार्लियामेंट की बात भी कहूँ जिसका कि यहाँ पर जिक्र हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा जिक्र कर दिया है।

अब मैं दूसरी दलीलों की तरफ, माननीय उपाध्यक्ष, आऊंगा। वह दलीलें यह हैं कि हम एक तो पोलीटिक्स के विद्यार्थी हैं इसलिए हमको थोड़ा सा पोलिटिक्स के विद्यार्थी की तरह, जैसा कि हमारे कुँवर जसवन्तसिंहजी ने कहा कि वे पोलिटिक्स के विद्यार्थी हैं, तो सब जगहों की बातें जानना चाहिए और खास तौर से वहाँ की जहाँ का जिक्र उन्होंने किया था। उन्होंने इंगलेन्ड का जिक्र किया था तो इंगलेन्ड का सोच-समझकर जिक्र करना चाहिए था। वहाँ क्या होता है? वहाँ अध्यक्ष के खिलाफ कितने वर्षों में कितने अविश्वास के प्रस्ताव आये हैं फिर भी वहाँ १/५ रखा गया है। पोलि-

Page No.53

[श्री जयनारायण व्यास]

स्कूल के विद्यार्थी को यह समझना चाहिए कि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का पद गवर्नमेंट के पद से ऊंचा है। फिजीकली भी आप देखेंगे कि वह ऊंचा है। वे ऊंचे बैठते हैं। जब हम आते हैं तो सिर झुका कर बैठते हैं और जाते हैं तो सिर झुकाकर जाते हैं। तो संख्या के बारे में भी सिर झुकाकर सरकार से ज्यादा करना पड़ेगा। इस प्रकार सरकार के बारे में २५ आदमी खड़े होकर चकचक करेंगे और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में १६ या २० या ४ या ५ या १६० में से एक ही, यह नहीं हो सकता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रूल २५ भी हम लोगों ने पास नहीं किया है, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं समझता हूँ कि जो रूल्स हैं वे तो हैं ही।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—But they have not been framed by the legislature.

श्री जयनारायण व्यास—My Hon'ble friend is very fond of interfering. I know what the rule is. I know what is the rule in vogue. I know that the Hon'ble Members have not raised their voice against the rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have moved a motion one and a half year back.

श्री उपाध्यक्ष—Order ! Order !!

श्री जयनारायण व्यास—Not about these rules.

श्री हरिकृष्ण व्यास—About these very rules.

श्री उपाध्यक्ष—No debate please.

श्री जयनारायण व्यास—एन्यायर रूल्स की बात कहना अलग है। एक मोशन में कह दिया कि सारी दुनियाँ को बदल दी जाय और उस दुनियाँ की चीजों में जल, थल, नभ, आकाश पाताल, मनुष्य, पंचेन्द्रीय, एकेन्द्रीय सारी चीजें आ जायेंगीं; उससे हाउस में इसको मिलाने की कोशिश करते हैं।

दूसरा यह कहा गया है कि माइनोरिटी का गला घोटने की बात हो रही है। माइनोरिटी का गला नहीं घोटा जाता है। गला तो इधर की बेन्चेन्ज पर जो बैठे थे उन्हीं का मैंने घोटा है उनसे मैंने कहा कि गला घोटने के बजाय उनके फेफड़ों को भी व्यायाम दो। उनको काफी ढील दी गई है कि आप क्या क्या कह सकते हैं और वे उन बातों को सुन सकते हैं, लेकिन इस चीज से दुख हुआ

[श्री जयनारायण व्यास]

है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सरकार के आदेशों से काम करते हैं या काम करेंगे। मैं खुद जानता हूँ कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन वे उन चीजों को एन्टरटेन कर लेते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद सरकार के पक्ष की परवाह नहीं करे, विरोधी पक्ष की परवाह नहीं करें, लेकिन न्याय पक्ष की परवाह करे; लेकिन एक साथ काम स्मूथली चले या काम में सिर्फ बाधा डालने की यह चीज नहीं है। यह अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का काम रहता और मैं समझता हूँ कि उनको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जहाँ तक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चेयर का दायरा है सरकार को बुरा मालूम हुआ कि अपोजिशन की यह बात बुरी है; तो सरकार उनको कह सकती है कि यह बात उनको ठीक नहीं मालूम पड़ी, लेकिन अध्यक्ष को हुक्म नहीं दे सकते हैं। मैंने तो अपना यह ट्रेडीशन रखा है कि जब कभी अध्यक्ष के पास ले जाना होता है तो लीडर ऑफ अपोजिशन से बात करूँगा कि यह चीज सदन के कॉमन इन्ट्रेस्ट की है इसलिए दोनों को जाना चाहिए और जाकर कहें। यह ट्रेडीशन है जो कि बनाया है और यह ट्रेडीशन बना दें कि एक माननीय सदस्य या २ या ४ कितने ही आदमी हों वह थोड़े से खड़े हो जायें और उसके बाद में यह चर्चाएं चलनी लग जायें तो हमारा जो सदन है वह वास्तव में एक अनुचित चर्चा सदन बन जायगा, जैसा की इस सदन में नहीं होना चाहिए और वह इस सदन की प्रतिष्ठा के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसा मैं समझता हूँ कि जिस तरह से दूसरे प्रदेशों के सदन में चलता है उस तरह से हमारे यहाँ कुछ नियम चल रहे हैं। यह हो सकता है कि कहीं नियम नहीं बने हों, जैसे कि हमारे यहाँ नहीं बने थे, सौराष्ट्र में नहीं बने थे वहाँ बनाये गये है; और पार्लियामेंट का जो ट्रेडीशन है, पार्लियामेंट को जो नियमावली डेवलप हुई थी, तो हम भी अपने यहाँ नियम काफी डेवलप कर सकते हैं। स्वस्थ परम्परा के बारे में इतनी ही बात कहना चाहता हूँ।

मुझे यह भी कहा गया है जिम्मेदारी का। मैं किसी भी सदस्य को गैर जिम्मेदार नहीं समझता, लेकिन मैं इस बात को कहना उचित नहीं समझता कि वह जिम्मेदारी से ही बात करते हैं क्योंकि उनकी जिम्मेदारी की बात सदन के सामने जो है वह फिजूल जाय। तो कम से कम इतना बेसिस तो होना चाहिए कि वह ऑब्जेक्शन करने के लायक तो हैं या नहीं; सदन की एक अच्छी तादाद उस आब्जेक्शन की तैयारी में है या नहीं और सामने जब आये तो ऐसे ऑब्जेक्शन को छोड़ दिया और दो-चार घन्टे उस ऑब्जेक्शन में दिलचस्पी ले ली। इधर तालियाँ बज गईं, उधर तालियाँ बज गईं, थोड़ी टेबलें बज गईं। मैं समझता हूँ, यह सदन की कोई अच्छी परम्परा नहीं हो सकती।

दूसरी तरफ से बहुत सारी बातें और भी कही गईं। मैं समझता हूँ वे ऐसी जबान में और मजाक में कही गई बातें थी जिनका मैं यहाँ क्या जवाब दूँ। श्री यादवजी ने नाद की बिल्ली की बात कही। मैं समझता हूँ अगर समाज का कोई फलसफा होता और उसमें यह बात कही जाती तो अच्छा

[श्री जयनारायण व्यास]

रहता। एसेम्बली जैसे जल्से में ऐसी मिसाल दें और मैं उसका जवाब दूं, तो यह आपको ठीक नहीं मालूम होगा।

श्री तनसिंहजी ने एक बात कह डाली कि इस तरह से हमको नहीं करने देंगे तो पानी दूसरी तरफ बह जायगा। मैं चाहता हूँ कि पानी बहकर दूसरी तरफ बाड़मेर की तरफ चला जाय, जहाँ पर कि पानी की कमी है, क्योंकि वहाँ पर जो कुए खुदवाये गये थे वे भी ५० प्रतिशत फेल हो गये। अब दो कुओं में पानी रहा है उनको चालू किया है। बदकिस्मती से पानी उधर नहीं बहता। थोड़ा बहकर उधर चला जावे तो अच्छा हो।

श्री तनसिंह—यह पानी बहकर सदन की ओर से आपकी तरफ आ रहा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अब तो धूल की बारी है।

श्री जयनारायण व्यास—मैं ऐसा समझता हूँ कि जो सद्भावना हमारे साथी कम्युनिष्ट मेम्बर में है, जो कि धूल की "बारी" के बारे में कहते हैं, वे कभी-कभी अपनी दौड़ में हमारे यहाँ आकर इधर-उधर करके लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य उनका ऐसा है कि उनकी दुर्भावनाएँ कामयाब नहीं हो पातीं। उनका गड़बड़ और केऑस पैदा करने का प्रयास सफल नहीं होता। मैं इसलिए उनके साथ हमदर्दी दिखाता हूँ और उम्मेद करता हूँ कि उनके प्रति सारे सदन को सहानुभूति होगी। लेकिन उनकी असफलता के लिए किसको जिम्मेदार कहें, क्योंकि असफलता उनको मिल ही जाती है। अकेले ही आदमी किस तरह से चर्चा करें इनके जैसे ५ आदमी हों तो भी क्या कर सकते हैं ?

यह बहुत ऊंचा पद है।.........

श्री हरिकृष्ण व्यास--इससे ऊपर गेलेरी है।

श्री जयनारायण व्यास—लेकिन गेलेरी सदन में नहीं है। मैंने पहले भी एक दफा कहा था कि गेलेरी सदन नहीं है। पूरा सदन यहाँ तक ही सीमित है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दूसरे हाउसेज में मेम्बर्स ऊंची सतह पर बैठते हैं, ऑन दी हायर लेवल।

श्री जयनारायण व्यास—गवर्नमेंट से हायर लेवल पर। हमने स्पीकर को माना है।

स्पीकर का ऊंचा पद होता है। उसमें यह नहीं समझ सकते कि बेंक बैंचर का पद ऊंचा

Page No.56

[श्री जयनारायण व्यास]

होता है। यदि यह बात समझते हैं तो उनकी समझ की तारीफ कर दूं, इसके सिवाय क्या कह सकता हूँ ? मेरा यह प्रस्ताव बिल्कुल वाजिब है और स्वस्थ परम्परा कायम करने के लिए है। गवर्नमेंट से स्पीकर के पद को ऊंचा रखने का प्रयास है और सदन में फालतू की चर्चा न हो और उसके बजाय अच्छे काम में समय लगे, इसलिए यह प्रस्ताव रखा गया है। मैं समझता हूं जिन-जन महानुभावों ने एमेन्डमेंट रखे हैं वे उन्हें वापिस लेंगे और आप सब मेरे प्रस्ताव का समर्थन करेंगे और इसे स्वीकार करेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा राइट ऑफ रिप्लाई है। Rule 105.........,

श्री उपाध्यक्ष—No right of reply. Rule 105 proviso :

"Provided that nothing in this paragraph shall be deemed to give any right of reply on an amendment except in the case of amendments prpoosed to bills and in the case of motions relating to supplies."

So it does not come under this.

श्री हरिकृष्ण व्यास—This is exactly what I am referring to; Rule 105, the proviso which the Hon'ble Deputy Speaker read. According to that proviso, the right of reply does exist in case of amendments proposed to bills, that means specific clauses, and as those clauses come up. Now this particular Resolution is meant to incorporate a clause in the Rules. It says that henceforth in the Rules of proedure and Conduct of Business of this House one particular clause like this shall exist and shall be deemed always to have existed or at least from now it shall be deemed to exist. It is not an expression of opinion alone, it is not only a matter on which the House has taken a decision or is capable of taking a decision. It means to incorporate a rule in the Rules of procedure and Business of this House, and, therefore, the motion, this particular motion, is equivalent to a motion for the adoption of a clause. The clause relates to incorporation of a particular rule and, therefore, I claim that it would entitle me to a right of reply. Therefore, under Rule 105, I claim a right of reply.

श्री उपाध्यक्ष—Let me explain. जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वे एक्ट नहीं हैं वे प्रोसिजरल रूल्स हैं और इसमें जो-जो सेक्शन्स और क्लाजेज़ के बारे में जिक्र किया गया है, वे एक्ट और बिल के क्लाजेज़ हैं। लेकिन क्योंकि यह बिल नहीं है, ये रूल्स हैं इसलिए इस पर श्री हरिकृष्ण

[श्री अध्यक्ष]

व्यास ने जो रूल बताया है, वह लागू नहीं होगा। यह जो इन्टरप्रिटेशन है वह सेन्कशन करने की फाइनल अथोरिटी सरकार की है। मैंने पहले कह दिया है कि यह रूल इस पर लागू नहीं होगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लेकिन रूल्स का भी क्लॉज़ बाई क्लॉज़ कन्सीड्रेशन होना चाहिये Supposing we come to consider the rules. How are we going to consider them? Clause by clause or how? At any stage......

श्री उपाध्यक्ष—You only want provision of a new rule which is not there and this has been proposed and discussed and this is to be adopted or rejected as the House likes.

श्री हरिकृष्ण व्यास—For a decision for the incorporation of a new rule as a definite clause to that rule, in that case it will be a legitimate claim ..

श्री उपाध्यक्ष—(Referring to the Rules of Procedure) It is a procedure and not an enactment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—These matters have the status of an enactment as far as discussion, amendment and motions with regard to this House are concerned.

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—On a point of order, Sir, if this rule is passed by the House, then it will have to be incorporated in the Rules of Procedure, and if so, would it not go against the provisions of the Constitution directly? Because Article 208 of the Constitution specifically lays down that where the Rules of Business have been framed by a special committee appointed by the Speaker, the House is not competent to frame any rules, and where the Rules of Business have been framed by the House in that case the House can change them. I fail to appreciate the distinction as to whether this rule, if it is adopted by the House by majority, can be incorporated in these Rules of Business, and if so, would it not be in direct contradiction of the provisions of the Constitution?

श्री उपाध्यक्ष—इस बारे में पहले भी बहस हुई थी और मैंने रूलिंग दिया था कि कांस्टीट्यूशन के अन्दर हाउस को पॉवर है कि अपने यहाँ के नियम या रूल्स हाउस बना सकता है, और क्यों कि यह चीज एमेन्डमेंट की थी और इसकी जरूरत पेश आई थी इसलिए स्पीकर साहब के सामने यह तजवीज आई, लेकिन इस ख्याल से कि उन्होंने अपने इन्तजाम के लिए यह नियम बनाया है, ऐसा न कहा जाय इसलिए उन्होंने इसको करना ठीक नहीं समझा। ये सारी बातें विस्तारपूर्वक

[श्री उपाध्यक्ष]

पहले बहस में आ चुकी हैं। हाउस को अपने नियम बनाने का अधिकार है, कोई भी एक्ट बना सकता है। यदि हाउस नहीं बना सकता तो क्या हाउस की जरूरियात के रूल्स पार्लियामेंट बनायेगी? यह बात ठीक नहीं रहेगी। अब रही रूल्स के इन्टरप्रिटेशन की बात। उसके लिए मैं सदस्यों का ध्यान रूल्स ऑफ प्रोसीजर के रूल ७८ की ओर आकर्षित करता हूं उसमें लिखा है :

"78. Interpretation of Rules.—In case of doubt as to the interpretation of the Rules, the decision of the Speaker shall be final." तो मैंने इन रूल्स को स्टडी करके जो राय अपनी बनाई वही इन्टरप्रिटेशन मैंने दिया है: that should be final and there should be no further debate on it.

कु॰ श्री जसवन्तसिंह—Again on a point of order, Sir, two points have been made out by the Chair and one of them is about the interpretation of the rules. Well, at present, the question is not of interpretation of rules. The question is about the interpretation of the provisions of the Constitution which is very distinct from the interpretaion of rules normally. The Chair has been pleased to refer to the sovereignty of this House. I most respectfully submit that I know that the House is sovereign, but it is sovereign to the extent sovereignty has been given to it by the Constitution and it cannot exceed the province given to it by the Constitution. Here I would respectfully submit that if this sovereignty is accepted the House is trying to go beyond the compass and I am sorry to say that this House is not sovereign to do so, I would very much like to have the Advocate General if he is here and can express his views on the subject. Of Course we would be statisfied if the Advocate-General can give his opinion; still it is not binding on us that we should accept the opinion of the Advocate-General, but at the same time, he is an expert and before the question is decided by the House we would appreciate, if his advice is also available to us.

श्री जयनारायण व्यास—उपाध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य से एडवोकेट जनरल यहाँ अभी नहीं हैं। एक सीधी सी बात है जिसको उलझनों में डालने की कोशिश विरोधी पक्ष के नेता को नहीं करनी चाहिए। प्रस्ताव बिलकुल साफ भाषा में रखा गया है और उस भाषा से साफ सिफारिश की गई है और अगर वह राय स्वीकार हो गई तो जैसे सदन की राय के अनुसार रूल्स में रद्दोबदल अध्यक्ष करना चाहें तो कर लेंगे। सारे रूल्स को दुबारा हाउस के सामने रख कर स्वीकार करने की बात होगी तो सदन स्वीकार कर लेगा और उस समय इस प्रस्ताव को ध्यान में रखेगा। इसमें विधान के विरोध में आने की कोई बात नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--यह क्या रिकमेन्डेटरी रिज़ोल्युशन है ?

श्री जयनारायण व्यास—यह जो कुछ है, प्रस्ताव है।

श्री उपाध्यक्ष—एडवोकेट जनरल की राय की मुझे जरूरत मालूम नहीं होती, सिर्फ इस पर हाउस की सम्मति लेने की जरूरत है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि मुख्य मन्त्री के ७ के प्रस्ताव पर श्री जसवन्तसिंह एम. एल. ए., ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है that instead of 1/5 th. 1/10 th be substtiuted.

जो पक्ष में हों वे "हाँ" कहें और जो विपक्ष में हों वे "ना" कहें।

(मतदान के पश्चात् 'Ays have it,' 'Noes have it' की आवाज़ें)

डिवीजन चाहते हैं आप ? (विरोधी पक्ष की ओर से 'हाँ')

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

श्री हरिकृष्ण व्यास--On a point of order, Sir, before the division takes place I claim one point. I think the amendments must be taken in this manner that the amendments proposing the least number should be taken up for voting first and the amendments proposing the higher number should be taken up next, and the next higher number next, otherwise— —

श्री उपाध्यक्ष—They have been taken as they have been proposed.

श्री हरिकृष्ण व्यास--If any voting has taken place, then in that case a decision on one may automatically prejudice the other amendments.

श्री जयनारायण व्यास--Not at all necessary.

श्री उपाध्यक्ष—The votes will be taken on each amendment.

श्री हरिकृष्ण व्यास—The difficulty will be, Sir, if the votes are taken and, if one amendment is adopted, it will mean a negation of the other amendments; as that order will not be changed. So, for the maximum number-amendment must be taken in the last.

श्री उपाध्यक्ष—You ought to have raised the objection earlier when the amendments were moved.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Mr. Deputy Speaker, Sir, what my friend says has some substance; in this sense voting on one will prejudice the voting on the other.

श्री उपाध्यक्ष—Now, it is too late.

श्री मानसिंह महार—Why not allow the Opposition to withdraw their amendments, if they are so keen for Mr. Vyas's amendment.

श्री जवानसिंह—Permission may be granted to the Chief Minister to withdraw his motion.

श्री उपाध्यक्ष—Again I put the question.

(विराम)

The question is that the amendment by Shri Jaswant Singh that '1/5th' be substituted by '1/10', be accepted.

(मत-दान के पश्चात्)

विरोधी पक्ष—The Ayes have it.

राज्य पक्ष—The Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष—डिविजन चाहते है आप, अच्छा अलाउड (allowed); 'एज़' वाले 'नोज़' की लोबी में और 'नोज़' वाले 'एज़' की लोबी में जावें।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—We know that many of our friends will come on our side.

(विभाजन के पश्चात्)

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन श्री जसवन्तसिंह ने पेश किया है उसके पक्ष में २१ और विपक्ष में ७४ मत प्राप्त हुए हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

Page No.61

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन अस्वीकार किया जाता है।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल ध्वनि)।

श्री गोपीलाल यादव—What about neutrals ?

श्री उपाध्यक्ष—न्यूटरल ? (श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री वेदपाल त्यागी ने प्रस्तुत किया है जो कि इस प्रकार है :

"That instead of 1/5th the words 1/18th be substituted" को स्वीकार किया जाय ?

श्री गोपीलाल यादव—He did not move it. प्रस्तुत नहीं किया साहब उन्होंने।

श्री जयनारायण व्यास—He has supported Shri Jaswant Singhji's amendment.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री एच. के. व्यास द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय। संशोधन इस प्रकार है :

"That instead of 1/5th the words one-twentieth be substituted"

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैरोंसिंह ने प्रस्तुत किया है जो कि इस प्रकार है :
"That instead of 1/5th the words 1/16th be substituted" इसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया है।

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

इसी तरह का संशोधन श्री मती यशोदा देवी का है और वह १/१६ के लिए है और एक ही मजबून का है, इसलिए मैं उसको नहीं ले रहा हूं ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री जवानसिंह ने रखा है जो कि इस प्रकार से है, उसको स्वीकार किया जाय :

"That instead of '1/5th' the words '1/12th' be substituted"

(मतदान के पश्चात्)

ना पक्ष जीता ।

राज श्री हिम्मतसिंह—आवाज तो कमती थी ।

श्री उपाध्यक्ष—संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

राज श्री हिम्मतसिंह—उधर के लोग कमजोर हो रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मुक्तिलाल मोदी का संशोधन इसलिये नहीं लिया जा रहा है कि उनका संशोधन आइडेन्टिकल है ।

(विराम)

जो संशोधन श्री गोपीलाल यादव ने........

एक आवाज—वे इसको विथड्रा कर रहे हैं ।

श्री गोपीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, अगर हाउस के नेता इसको स्वीकार कर लें तब तो बहुत अच्छा है ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—The Last appeal.

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री गोपीलाल यादव ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय। संशोधन इस प्रकार है :

"A note of no-confidence against the Speaker should be supported by a number equal to the quorum of the House or 50% of the total number of the Opposition Members, whichever is less.

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव चीफ मिनिस्टर ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(मत-दान के पश्चात्)

'ना' पक्ष जीता।

(विरोधी दल की ओर से करतल ध्वनि)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—The Noes have it.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी—The Ayes have it.

श्री गोपीलाल यादव—The Noes have it.

श्री उपाध्यक्ष—You want Division on this ?

(विभाजन घण्टी के पश्चात्)

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री जयनारायणजी व्यास, मुख्य मन्त्री ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

'हाँ' पक्ष जीता।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Noes have it, Sir.

श्री जयनारायण व्यास—Ayes have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष—क्या आप डिविजन चाहते हैं या खड़े होकर वोट गिन लिए जाँय।

विरोधी पक्ष—लोबीज़ में मत लिए जाँय ताकि रेकर्ड में आ सके।

(विभाजन के पश्चात्)

श्रीउपाध्यक्ष—डिविजन का रिज़ल्ट मैं आपको सुना दूँ:

प्रस्ताव के पक्ष में ७८।
विपक्ष में २१।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

मूल प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है।

राज्य पक्ष की ओर से करतल ध्वनि।

राजस्थान भूधारण विधेयक, १९५१ (अग्रेतर विचार विमर्श)

श्री उपाध्यक्ष—अब टिनेन्सी बिल पर विचार करना है।

(विराम)

The question is that the Rajasthan Tenancy Bill, 1953 be taken into Consideration.

आम बहस तो हो चुकी है। यह मोशन फोर कन्सीडरेशन का प्रश्न नहीं पूछा गया था, इसलिए पूछा जा रहा है, अतः सदन इस पर मत दे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत हुआ।

(विराम)

अब बिल (खण्डशः) कन्सीडरेशन के लिए लिया जाता है। क्लॉज़ नं० २ पर जो संशोधन हैं वे—**they may be taken as moved.**

Page No.65

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

श्री वेदपाल त्यागी।

(अनुपस्थित)

श्री बृजसुन्दर शर्मा

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २ में मेरी तरमीम इस तरह से है—

"(a) For part (b) of sub-clause [1] of clause 2 the following shall be substituted :—

"(b) Any corresponding laws other than the enactments referred to in clause (a) hitherto in force in any of the Covenanting States in so far as such laws are covered by, or are inconsistent with, the provisions of this Act;"

इस विषय में मेरा निवेदन करना यह है कि सबक्लॉज़ (ए) में जो रिपील है वह उनकी है जो कि फर्स्ट शिड्यूल में जो एक्टस दिये हुए हैं, जो लॉज़ दिए हुए हैं; इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इनेक्टमेंटस हैं पुरानी रियासतों के जिनका कि इनमें नाम नहीं आया है और इनके लिए एक जनरल एप्लिकेशन बनाना जरूरी है। अभी जो क्लॉज़ (बी) है वह इस तरह से रन करता है :—

"[b] any laws, other than the enactments referred to in clause [a], relating to agricultural tenancies, hitherto in force in any of the Covenanting States in so far as such laws are covered by, or are inconsistent with the provisions of this Act."

क्लाज़ (बी) में अभी है कि :—

'other than the enactments referred to in clause [a] relating to agricultural tenancies.'

अब इसके बजाय जो हम कहना चाहते हैं कि इसको जनरल एप्लीकेशन का बनाकर इस तरह से उसमें तरमीम करनी चाहिए :—

"any corresponding laws other than the enactments referred to in clause [a]" जो क्लाज़ (ए) में रेफर की हुई हैं वह शेड्यूल में आ गए हैं। इनके अलावा जो दूसरे एक्टस हैं, जो दूसरे लॉज़ हैं उनके लिए भी रेफरेन्स का होना जरूरी है। इसलिए इस एमेंडमेंट के जरिए वह सब इसमें आ जाते हैं। वह अब इस तरह से रीड करता है:—

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

"Any corresponding laws other than theenactments referred to in clause (a) hitherto in force in any of the Covenanting States in so far as such laws are covered by, or are inconsistent with the provisions of this Act."

इससे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जायगा, क्योंकि इस शिड्यूल में दिये हुए हैं उनके अलावा कई ऐसे हैं जैसे डूंगरपुर का १९०८ का एक लैन्ड रेवेन्यु एक्ट या टिनेन्सी एक्ट है और उसका उसमें स्पेसिफिकेल्ली (specifically) कोई ज़िक्र नहीं आया है। जिनका जिक्र आया है उनके अलावा जो एक्टस हैं उनका इसमें मेन्शन किया जाना बहुत जरूरी है और सबका इन्क्लूजन इसमें जरूरी है। So far as those are laws concerned they will come under this Repal clause (b) and therefore this amendment is very essential and my submission is that इस एमेंडमेंट को हमारे रेवेन्यु मिनिस्टर साहब बड़े हर्ष से मन्जूर करेंगे, क्योंकि यह बिल्कुल फोर्मल है, क्योंकि इसमें कोई बात नहीं है।

दूसरा एमेंडमेंट इसमें यह है कि:—'Part (c) of sub-clause (1) of clause 2 shall be omitted."

जबकि हमने सारे दूसरे इनेक्टमेंटस और लॉज़ के लिए पार्ट (बी) में जिक्र कर दिया है और यह कह दिया है कि दूसरे लॉज़ हों जो कि इन चीजों से कन्सर्न रखने वाले हों, वह रिपील किए जाते हैं तो यह रिडन्डेन्ट (redundant) हो जाता है क्लाज़ (सी), जो कहता है "any laws amending the enactments or laws referred to in the preceding clauses of this sub-section"

प्रिसीडिंग क्लाज़ में जो लॉज़ हो गए हैं, जो शेड्यूल में दिये हैं, वे रिपील हो गए और इनके अलावा जो कवेनेन्टिग स्टेटस में लागू थे वह सारे के सारे रिपील हो जाते हैं; तो क्लाज़ (सी) रिडन्डेन्ट हो जाता है। यह मेरा इसी क्लॉज़ में दूसरा एमेंडमेंट है।

अब इसमें ही सब क्लॉज़ (२) के ओमीशन के बारे में मेरा एक एमेंडमेंट है यह सब क्लॉज़ यह है कि :—

"(2) To every repeal under sub-section (1), the provisions of sections 6, 8 and 24 of the General Clauses Act, 1897, of the Central Legislature shall apply mutatis mutandis."

यह सब क्लाज (२), in the light of Clause 'A' जिसमें जनरल क्लाजेज़ एक्ट पूरा का पूरा एप्लाई कर दिया गया है और जिसमें कहा गया है कि "The provisions of the General Clauses Act will apply mutatis mutandis to this enactment." निरर्थक है, तो यह सारा का सारा यह एप्लाई होता है तो यह रिडन्डेन्ट हो जाता है कि जनरल क्लॉजेज़ के सेक्शन्स ६-८ और

[श्री ब्रजसुन्दर शर्मा]

२४ इस पेर एप्लाई किए जाँय। जब कि सारा एक्ट एप्लिकेबल है और उस पर एप्लाई होता है तो फिर सेक्शन ६, ८ और २४ को एप्लिकेबल करने की कोई जरूरत नहीं है। यह एक फॉर्मल एमेंडमेंट है जब कि पहले हमने क्लाज़ १ (८) में यह मौजूद है तो उसके देखने से उस सब क्लॉज़ (२) की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इस तरह से जब यह सब क्लाज़ (२) रिमूव हो जाता है तो दूसरे सब क्लाजेज़ का रिनम्बरिंग होना बहुत आवश्यक है और उनके रिनम्बरिंग करने के बारे में मेरा एमेंडमेंट है।

सब क्लाज (३) में, जो कि अब सब क्लाज (२) हो जाता है, रिनम्बरिंग होकर उसमें और क्लाज (४) सब क्लाज (३) शब्द "repugnance" जो, सब क्लाज (४) में है लास्ट सेन्टेन्स में उसके बदले शब्द "repugnance" होना जरूरी है। सब क्लाज (४) इस तरह है :— Any custom or usage relating to agricultural tenancies prevailing at the commencement of this Act in any part of the State and having the force of law therein shall, if such custom or usage is repugnant to or inconsistent with the provisions of this Act cease to be operative **to the extent of such repugnance** or inconsistency." यह एक ग्रामीटिकल मिस्टेक है, यानि रिपग्नेन्सी होना चाहिए। रिपग्नेन्स के बजाय रिपग्नेन्सी करने के बारे में मेरा सुझाव है।

मैं समझता हूँ कि जो एमेंडमेंटस क्लॉज २) में हैं वे बहुत ही फार्मल हैं और बहुत जरूरी एमेंडमेंटस हैं। मैं समझता हूँ कि रेवेन्यु मिनिस्टर साहब इनको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी तो और एमेंडमेंटस हैं, let them all be moved.

श्री उपाध्यक्ष—भाई श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा जो संशोधन है वह सिरोंज से आने वाले मेरे माननीय मित्र हैं, उनके संशोधन से मिलता-जुलता है। वह संशोधन सं० ६५ पर है। वह इस प्रकार है।

"Delete the Sub-clause (2) of the clause." मेरे इस संशोधन का अभिप्राय यह है कि जनरल क्लॉजेज़ एक्ट जब कि क्लॉज़ १(८) के जरिये सम्पूर्णतया लागू कर दिया है तो रिपील के विषय में जितने भी प्रोविज़न्स हैं वे सारे लागू होते हैं, ऐसी सूरत में सेक्शन ६, ८ और २४ को सब क्लाज़ (२) के जरिये लागू किया है, लेकिन वह अपने आप क्लाज़ १ (८) के अन्तर्गत लागू हो जाते हैं इसलिए उनको दुबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ही मैंने एक संशोधन वेट्स और मेज़र्स बिल के सिलसिले में रखा था, लेकिन यह कहा गया था कि यह रिपील्स के लिए है और रिपील्स के लिए स्पेशली लागू करने की जरूरत है। यदि यही जवाब इसमें है तो इस विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि रिपील्स की कोई क्लॉज़ जनरल क्लाजेज़ एक्ट में इन क्लाजेज़ के

Page No.68

[श्री तनसिंह]

अतिरिक्त नहीं दी है। उस विषय में यही सेक्शन्स रिपील के लिए हैं, इसलिए कुछ प्रश्न ही नहीं उठता है कि उसके लिए अलग प्रोवीजन्स लागू होंगे। ऐसी सूरत में मेरा ख्याल है कि मेरा संशोधन जो कि एक टेकनीकल संशोधन है, और यह क्लाज़ २ (२) रिडन्डेन्ट है। इस लाइट में ही क्लॉज़ १ (ए) रखी हुई है; उसमें अतः क्लाज़ २ से सब क्लाज़ (२) हटाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—श्री वेदपाल त्यागी।

(अनुपस्थित)

श्री एच के व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने जो संशोधन इस क्लाज़ में रखा है उसको I take the amendment as moved.

सबसे पहले सब क्लाज़ (२) में मेरा संशोधन है वह यह है कि सब क्लाज़ (२) के अन्त में एक प्रोविज़ो बढ़ा दिया जाय, जो इस प्रकार हो। " Provided that any right which might have latently accrued to any tenant under any of these enactments or laws shall continue to accrue to him and the same on maturity shall be enforceable under this Act as if the old enactments or laws had been in existence."

सब क्लाज़ (२) का ताल्लुक, माननीय उपाध्यक्ष, कुछ पुराने कानूनों को रिपील करने से है और इस रिपील के सिलसिले में यह कहा गया है कि जनरल क्लाजेज़ एक्ट के सेक्शन ६, ८ और २४ इस में लागू होते हैं। लेकिन या तो तब लागू होते हैं जब कोई एक्शन ले लिया गया हो या कोई राइट जो है वह राइट पूरी तरह से उपलब्ध हो गया हो। पुराने टिनेन्सी एक्टस जो हैं, और जिनको रिपील किया जा रहा है उनमें एक धारा ऐसी है जो कि प्रोस्पेक्टिव है, १२ साल पूरा हो जाने के बाद खातेदारी राइट मिलेगा। इस किस्म की एक धारा उसमें है। ऐसी धारा को जिसमें राइट लगातार एक्रू होते हैं लेकिन पूरा लागू तभी होगा जब कि मयाद पूरी होगी। अब नया कानून लागू होने के बाद एक अजीब किस्म की हालत पैदा हो जाती है। मान लीजिये कि १२ वर्ष में से १० वर्ष हो चुके हैं या ११ वर्ष या ११ वर्ष ७ महीने पूरे हो चुके हैं और वह प्रोस्पेक्टिव अधिकार पूरा होने को है, इस बीच में वह कानून रिपील हो गया। नये एक्ट में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। इसका मतलब यह होगा कि आज तक जो लेटेन्टली राइट एक्रू हो रहा था वह खत्म हो जायगा। इसलिये केवल इसको लागू करने से काम नहीं चलेगा। इसमें एक सेपरेट प्रोविजो लागू करना पड़ेगा जो इस प्रकार है, "Provided that any right which might have latently accrued to any tenant under any of these enactments or laws shall continue to accrue to him and the same on maturity shall be enforceable under this Act as if the old enactments or laws had been in existence."

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मेरा पहला संशोधन तो यह था, माननीय उपाध्यक्ष ! इसके बाद सब क्लॉज़ (३) की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इसकी भाषा में थोड़ी हेर-फेर करने की आवश्यकता है। एक्ट, ऑर्डिनेन्स, रेगुलेशन, रूल्स, ऑर्डर, रिज्योल्युशन, नोटिफिकेशन और बाईक्लॉज़ का जिक्र करते हुए इस में जो वर्ड्स लिखे हैं "Nothing contained in any Act, Ordinance, regulution, rule, order, resolution which is contrary to or inconsist with the provisions of this Act shall be operative or in any affect those provisions." उसके बजाय मैंने चेन्ज यह किया है कि इस सब क्लॉज़ को वर्ड "nothing" से शुरू करने के बजाय Anything से शुरू किया जाय। यानी Nothing आदि-आदि लगाने से इफेक्ट ओपरेटिव नहीं होगा। इतना करने से ही काम नहीं चलेगा, हमें इसको साफ करना पड़ेगा। अन्तिम लाइन में जो वर्ड्स हैं उनको हटा कर उनके स्थान पर "Shall be void and inoperative" करने का मेरा संशोधन है। इन शब्दों को कहने की आवश्यकता इसलिये है कि यदि इतना ही कहें कि "it shall be operative or in any way effect those provisions" तो उनकी लीगल वेल्यू से निश्चित मत नहीं होता और बड़ी एनेमोली (anamoly) क्रिएट हो जाती है और कन्फ्यूजन की गुंजायश है। इसलिये इसको साफ करना चाहिये। इस प्रकार से मैंने इसमें संशोधन कर दिया है। आखिरी लाइन के बजाय "shall be void and inoperative" कर दिया जाय।

मेरा तीसरा संशोधन सब क्लाज़ (४) से ताल्लुक रखता है। इसमें जो ये शब्द हैं "to the extent of such repugnance or inconsistency" ये हटा दिये जांय, तो इसके माफिक कस्टम आदि लेना चाहिये। फिर बारीकी में जाने की आवश्यकता नहीं है। वह जिस हद तक इन्कंसिस्टेन्स है उस हद तक डिस्कंटिन्यू करें, मेल नहीं खाता। वह फायदेमन्द है। लागबाग बन्द हो गई है, पर ऐसी लाग जैसे म्युनिसिपल लाग आदि के बारे में कठिनाई में पड़ना ठीक नहीं होगा। It is a form of municipal tax. पिक्युलियर फोर्म्स (peculiar forms) और सिस्टम्स हैं उनको बन्द करके इंटरप्रिटेशन की गुंजायश न रखते हुये यह करें कि इन शब्दों को डिलीट कर दें " to the extent of such repugnance or inconsistency."

इस प्रकार के संशोधन सब क्लॉज़ (३) और सब क्लॉज़ (४) में मैंने किये हैं। इन संशोधनों को प्रस्तुत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनको स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा ख्याल है कि संशोधन समाप्त हो चुके हैं।

एक माननीय सदस्य—एक और बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्यामलाल गोयल अपना संशोधन पेश करें।

श्री श्यामलाल गोयल—मिस्टर डिप्टी स्पीकर, सर, क्लाज़ २ में मेरे निम्न अमेंडमेंटस हैं। पहला अमेंडमेंट यह है, "At the end of part (c) of this sub-clause delete fullstop and add to the extent specified in clauses (a) and (b)"
एक संशोधन जो अभी श्री वृजसुन्दर जी ने रखा उसमें इस क्लाज़ को बिल्कुल डिलीट करने की मांग की है, इसलिये यह संशोधन अन्नेसेसरी हो जाता है; इसलिये इसको मैं प्रेस नहीं करना चाहता।

मेरा जो दूसरा संशोधन है वह इस प्रकार है "In sub-section (3) after the word 'notification' and before the word 'or' occurring in line 2 insert a comma and the word 'Hidayat,"

यह जो सब क्लाज़ (३) है "Nothing contained in any Act, Ordinance, regulation, rule, order, resolution, notification or bye-law not repealed by sub-section [1] or in the terms' etc. etc." जिसमें आर्डर, बाइलॉज वगैरह सब आ गये हैं। लेकिन मैं फारमर जयपुर की जनता के लिये यह अर्ज करना चाहता हूँ कि वहाँ एक पर्टिकुलर टर्म थी हिदायत। हिदायत वह आर्डर था जो समय-समय पर कौंसिल आफ स्टेट द्वारा जारी किये जाते थे। उनको भी रिपील करने का सवाल है। यह माना जा सकता है कि वह भी आर्डर में शामिल है। लेकिन क्यों कि टेक्निकल टर्म है, इसलिये इसमें बढ़ाने में हर्ज नहीं है। इससे मायना साफ हो जायगा।

तीसरा संशोधन है सब क्लॉजेज़ (३) और (४) में :

"Treat sub-sections (3) and (4) as clauses (d) and (e) respectively to sub-section (1)"

यह संशोधन मैंने इसलिये रखा है कि यह रिपीलिंग सेक्शन है, रिपीलिंग सेक्शन में जितने रिपील हैं वे एक ही सब क्लॉज़ में आ जाँय तो ज्यादा अच्छा हो। इसमें (ए) (बी), (सी) सब क्लॉज़ हैं, उसके बाद सब सेक्शन (३) और (४) कर दिया गया है; लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि जितने रिपीलिंग क्लॉज़ है वे एक ही सब क्लॉज़ में आ जाँय।

मेरा चौथा संशोधन है :

"Delete the word 'and' at the end of clause (b) of sub-section (1) and put semi-colons after the amended clauses (d) and (e) instead of full-stops."

यह मेरा जो नम्बर ३ संशोधन है, उसके लिए जरूरी है। सर्मिकोलन वगैरह रखने का है। मेरा आखरी और ५ वां संशोधन यह है : "After sub clause (4) insert the following:—

[श्री श्यामलाल गोयल]

"Provided that the laws, acts, ordinances, regulations, rules, orders, resolutions, notifications, Hidayats, byelaws, customs, or usages referred to in parts (b) and (c) of sub-clause (1) and sub-clauses (3) and (4) shall be deemed to be altogether repealed unless they were published in the Gazettes of the covenanting States or are published by the State Government before this Act comes into force."

माननीय उपाध्यक्ष, इस सदन में कई दफा यह चर्चा चली है कि बहुत से लॉज़, ऑर्डर्स ओर्डीनेन्सेज़ या नोटीफिकेशन्स आदि ऐसे हैं जो कॅवेनेटिंग स्टेट्स में शायद पब्लिश नहीं हुए हैं और शायद जनता को जानकारी में नहीं हैं।। आज जब हम टिनेन्सी लॉ जैसा डेफिनिट लॉ बना रहे हैं तो ऐसा डेफिनेट ला बनाते वक्त ऐसे लाज़, ओर्डर्स, ओर्डिनेन्सेज, नोटिफिकेशन्स आदि चीजें जिनका कि जनता को पता भी नहीं चल सकता तो उनको रिपील नहीं करना एक बहुत बुरी चीज होगी। यह बात होनी चाहिये कि ऐसे तमाम लॉज़ को रिपील कर दिया जाय या उनके हिस्से जो इस एक्ट से कवर्ड नहीं हो और उन्हें रखना जरूरी हो तो ऐसी लॉज़ को या उनके हिस्सों को प्रकाशित कर दिया जाय। कानून में, 'इग्नोरेंस ओफ ला इज नो एक्सक्यूज़' यह एक बड़ा और माना हुआ उसूल है। एक तरफ तो यह कहा जाय कि 'इग्नोरेंस ओफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़', और दूसरी तरफ उस लॉ को अनपब्लिश्ड रख कर जनता की जानकारी तक न होने दी जाय, और उस अनपब्लिश्ड लॉ की मन्शा के खिलाफ अगर कोई काम करे तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय और कहा जाय कि 'इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़'। तो मेरा कहना है कि जब हम टिनेन्सी एक्ट बना रहे हैं तो ऐसे अनपब्लिश्ड लॉज़ को रिपील करना चाहिये।

लॉ कोर्ट्स में देखा है कि बहुत से लॉज़ जो अनपब्लिश्ड हैं उनके बीच के केसेज़ होते हैं और फैसले उल्टे सीधे होते हैं। यह मेरा जो पाँचवाँ एमेंडमेंट है इसको मंजूर किया जाना चाहिये, और कोई उन अनपब्लिश्ड लॉ में से ऐसा हो कि जिसका रखना जरूरी हो तो उनको पब्लिश कर देना चाहिये ताकि जनता जानले। यह मेरे एमेंडमेंट्स हैं।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ टू में मेरा पहला संशोधन है; इसके सब क्लॉज़ (३) में प्रोवाइडेड देट दी लॉज़, एक्ट्स, आर्डीनेन्सेज़, रेग्यूलेशन, रूल्स, ओर्डर्स रिज़ोल्युशन्स, नोटिफिकेशन्स, हिदायत्स, बाई लॉज़ कस्टम्स और युसेजेज़ के आगे 'हिदायत' 'रोबकार' और लगा दिया जाय। यानी "Insert the word 'Hidayat Robkar' between the words 'resolution' and 'notification' in the second line of sub-clause (3)."

आज तक कितने ही कानून प्रचलित थे, तो उनको रिपील करने का सवाल आता है तो उन कानूनों की ओर दृष्टिपात करना पड़ेगा जिनके जरिये जागीरदारों और काश्तकारों के बीच सम्बन्ध बनाये रखा है, जिनके जरिये सरकार और काश्तकारों के बीच सम्बन्ध बनाये रखा है। यहाँ जयपुर स्टेट में काश्तकारों और जागीरदारों के सम्बन्ध बनाये रखने के लिये ऐसे ऑर्डर्स भी होते थे जिनको 'रोब-

[श्री भैरूं सिंह]

कार' के नाम से पुकारा जाता था। यह 'रोबकार' शब्द उर्दू का शब्द है, पर कौंसिल से जितने ओर्डर होते थे उन ओर्डर्स को 'हिदायत' और 'रोबकार' के नाम से ही प्रचलित किया जाता था। इसलिये मेरा यह संशोधन है कि 'रोबकार' और 'हिदायत' को भी इसमें आगे एड कर दिया जाय।

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि इसमें प्रोविज़ो और एड किया जावे। "Provided that nothing contained in this section shall disturb the rights of tenants which have accrued to them under any existing law and will have the same force of law as if these rights have been accrued under this Act."

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर में टिनेन्सी कानून के अन्दर पट्टेदारी का सिस्टम प्रचलित था और वहाँ की सरकार ने उन काश्तकारों में पट्टेदारी के पट्टे हासिल करने के लिये काफी तादाद में रकम वसूल की और उनको वे राइट्स दिये जो कि जागीरदारों के हैं। आज देखा जाता है कि पट्टेदार जो हैं वे अपने जमीनों में खुद-काश्त करते हैं और बहुत कम सबलेट करते हैं। जिस कानून से रुपया ले कर उनको पट्टे दिये गये और एश्योरेन्स दिया गया था जैसा कि आज जमीन की उन्नति के लिये एश्योरेन्स देते हैं ताकि वे किसान जमीन को उपजाऊ बना कर कृषि की उन्नति में लगे रहें और काश्त को बढ़ायें, वहाँ हम आज उनको जो अधिकार पहले से मिल चुके हैं उनमें ही कमी करने जा रहे हैं। मैंने इस एक्ट को शुरू से आखिर तक देखा है, पर इसमें पट्टेदारी का कहीं भी जिक्र नहीं है। चाहिये तो यह था कि पट्टेदारों के राइट्स को, जिनसे रुपया लेकर पट्टे दिये गये थे, उनका खुलासा करना था। उनको अगर सेफ गार्ड नहीं किया तो काश्तकारों की भलाई के लिये यह कानून बनाते हैं, आश्वासन देते हैं, उन काश्तकारों के प्रति और सरकार के प्रति किसानों का विश्वास उठ जायगा। इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिये ऐसे प्रोविजों के रूप में कानून का आना आवश्यक है। इससे जो अधिकार आलरेडी मिले हुए हैं उनमें कमी नहीं आयेगी। इस तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे तो उनके अधिकारों में कमी आयेगी और जिन लोगों से सरकार ने रुपया लिया उनके प्रति सरकार की तरफ से यह धोखा होगा। जयपुर स्टेट ने पट्टेदारों से काफी धन राशि ले कर उन्हें पट्टेदारी राइट्स दिये हैं। वे राइट्स इस प्रकार का प्रोविज़ो रखने से डिस्टर्ब नहीं होंगे और उनको जो अधिकार मिले हुए हैं उनकी इस प्रकार के प्रोविज़ों से रक्षा हो सकेगी। इस लिये मैंने यह संशोधन रखा है। यदि पट्टेदारों के अधिकारों की रक्षा करनी है तो माननीय मन्त्रीजी मेरे इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, अभी-अभी जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उनमें से संख्या ४४ व ५७ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। संख्या ४४ का संशोधन श्री श्यामलालजी ने पेश किया है और वह संख्या ५ के ऊपर निर्दिष्ट है। उनका निवेदन करना कहाँ तक सही है, इस सिलसिले में मैं एक-दो शब्द अर्ज करना चाहता हूँ। उन्होंने सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि राजस्थान बनने से पहले कुछ रियासतों में अलग-अलग प्रकार से हुक्म, रूल्स, रेगुलेशन, रोबकार हिदायतें आदि दिये; उनको उन स्टेट्स के राजपत्र में छापा नहीं किया और राजस्थान बनने के बाद भी राजस्थान राजपत्र में उनको छापा नहीं किया गया, उनकी इस जगह कानूनी कोई कीमत नहीं

Page No.73

[श्री जवानसिंह]

होनी चाहिये। मैं इस चीज का विरोध करते हुए यह निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान बनने से पहले अलग-अलग रियासतों में विभिन्न परिपाटियें थीं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ रियासतों में शायद राजपत्र निकलने तक की या प्रकाशित होने की परिपाटी नहीं रही हो। इस अवस्था में ऐसे कानून को राजपत्र में छापा होने या राजस्थान बनाने के बाद अनिवार्य रूप से प्रकाशित होना आवश्यक नहीं माना जाता क्योंकि जो रूल्स एन्ड रेग्युलेशन्स और हिदायतें उस वक्त में जारी की गई थीं उनकी कानूनी तौर से वही कीमत थी जितनी आज हमारी सरकार कोई भी कानून पास करे या जारी करती है और जो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित होता है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि उन कानूनों की तहत में कुछ भी कार्यवाहियें की गई, उनकी कीमत आज हम घटा या बढ़ा नहीं सकते और वे कानून उसी प्रकार की हैसियत रखते हैं जिस प्रकार के रूल्स और रेग्युलेशन इस वक्त कीमत रखते है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि इस धारा ५ को पास इस नजर से नहीं करना है कि आप पुराने रूल्स एन्ड रेग्युलेशन को अनुचित मानें। इस वक्त जब कि उसकी तहत में कार्यवाहियें होकर लोगों को उन हिदायतों और रूल्स के अनुसार हक मिल चुके हैं, लोगों को लाएबिलिटीज मिल चुकी हैं; इसलिये कोई भी कार्यवाही उन पुराने कानूनों और हिदायतों के अनुसार की गई वे अनुचित नहीं करार दी जा सकती। इसलिये मैं यह निवेदन करूँगा कि उनके एमेंडमेंट संख्या ५ को पास नहीं किया जावे।

दूसरा श्री एच. के. व्यास ने जो एमेंडमेंट किया है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि जैसा ओरिजिनल बिल में है वही ठीक है। जो शब्द बढ़ाए जाने के लिए हैं, वे ठीक नहीं है। 'इनओपरेटिव और 'वॉयेड' शब्दों में क्या अन्तर है? 'वॉयड' किसी काम को न करने के उद्देश्य से ही काम में लाया जाता है और 'इनओपरेटिव' उस वक्त प्रयोग में लिया जाता है कि हम किसी काम को करने के पश्चात किसी विशेष समय पर उस काम को रोकने की इच्छा हो तब इस शब्द को काम में लिया जाता है। तो हमको यहाँ पर इनिशियल स्टेट में जब कि कानून लागू ही किया जाता है तो उस कानून को इनिशियल स्टेज में गलत नहीं माना जा सकता है। इसलिये इस कानून में 'वॉयड' शब्द न रख कर 'इनओपरेटिव' शब्द को रखा जाय। इस कानून को पास करने के पश्चात् पुराने रूल्स और रेगूलेशन के अनुसार जो भी कार्यवाहियें हुई हैं उनको वहां पर खत्म करना है। यह सदन की राय है और इस लिये 'वॉयड' शब्द को यहाँ पर जोड़ना उचित नहीं होगा। मैं निवेदन करूँगा कि इस पर गौर कर लिया जावे।

तीसरा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शब्द 'रोबकार' के जोड़ने से और दूसरी हिदायतों को जोड़ने के लिये जो बात है उस सम्बन्ध में से यह निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार के कई शब्द और-और रियासतों में प्रचलित थे। यदि हम पुराने कागजात देखते हैं तो इन शब्दों का दाखला हमको मिलता है। इन शब्दों का समावेश इस धारा कि उपधारा (३) में कर लिया है और वह इस प्रकार है:—

"Nothing contained in any Act, Ordinance, regulation, Rule, Order, Resolution, Notification or bye-law not repealed by sub-section (1) or in the terms or conditions of any order or instrument granting or recognizing......

[श्री जवानसिंह]

तो हर ऑर्डर में हिदायत, रोबकार आदि शब्द आ जाते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इन सब बातों का समावेश इसको उपधारा (३) में आ जाता है। इसलिए इस संशोधन को प्रस्तुत करने में कोई नई बात नहीं आती। मैं निवेदन करूंगा कि इसे नहीं लिया जावे।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में जो एमेंडमेंट सदन के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं उसमें मैं सबसे पहले उस एमेंडमेंट का जिक्र करना चाहता हूँ जिसमें यह कहा गया है कि "हिदायत रोबकार" जो शब्द हैं उनमें बढ़ा दिए जावें। मेरे पहले बोलने वाले सदस्यों ने कहा है कि इसमें इस प्रकार के स्पष्ट शब्द हैं कि जहाँ ऑर्डर शब्द इसमें पहले से है तो इसमें 'हिदायतें' और "रोबकार" जिस जगह जैसा भी होता था उनका सबका समावेश इसमें हो जाता है। इसलिए इसको जोड़ने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

इस प्रकार जो जोधपुर से आने वाले मित्र ने इस बात को दोहराया है कि सब क्लॉज (२) में एक प्रोवीजन जोड़ा जावे, उसकी आवश्यकता इसलिए प्रतीत नहीं होती कि सब क्लाज़ (२)में जो एमेंडमेंट मूव किया गया है उसको मैं स्वीकार करना चाहता हूँ और उसको स्वीकार करने के बाद जो फर्स्ट (ए) में है उसके द्वारा सारा जनरल क्लाजेज़ एक्ट लागू हो जाता है तो उसके बाद जो भी राइटस पहले के हैं वे रायज़ हो जावेंगे और कवर अप हो जावेंगे। इसलिए इसकी जरूरत नहीं रहती, इसलिए यह एमेंडमेंट बेकार सा प्रतीत होता है।

श्री श्यामलालजी गोयल ने जो एमेंडमेंट मूव किया है उसमें से एक का जवाब तो मै पहले दे चुका हूँ और उनका पाँच नम्बर का जो एमेंडमेंट है वह चीज भी मैं समझता हूँ कि आवश्यक नहीं है क्योंकि जो कानून पहले प्रचलित थे चाहे पब्लिश हुए हो या नहीं वे कानून जायज समझे जावेंगे। इसके लिए अलग से कार्यवाही करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

एक एमेंडमेंट श्री एच. के. व्यास ने रखा है कि "Nothing" की जगह "Anything" रखा जावे। मैं यह कहूँगा कि इससे भाषा के प्रयोग में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा और न इससे कोई खास पर्पज़ सर्व होगा। इसके अलावा यह क्लॉज़ भी बहुत स्पष्ट है। इसलिए इस चीज की आवश्यकता मालूम नहीं होती।

एक एमेंडमेंट श्री तनसिंहजी का है। इनका यह एमेंडमेंट श्री बृजसुन्दर के एमेंडमेंट में कवर अप हो जाता है। इसके लिए मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं।

एक बात और श्री एच. के. व्यास ने कही कि 'to the extent of such repugnance or inconsistency" डिलीट कर दिये जावें। मैं समझता हूँ कि इनको डिलीट करना बिल्कुल उपयुक्त नहीं होगा।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

मैं समझता हूँ कि ये ही मुख्य बातें थी कि इन विषयों पर एमेंडमेंटस द्वारा मूव की गई है। जो श्री बृजसुन्दर शर्मा के एमेंडमेंटस हैं मैं उनको स्वीकार करता हूँ और दूसरे एमेंडमेंटस को, जैसा कि मैंने सदन से निवेदन किया, स्वीकार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। मैंने आपको बताया कि 'हिदायत' और 'रोबकार' का भी इस ऑर्डर शब्द में समावेश हो जाता है और पहले के कानूनों में जो अख्तियारात का सवाल है वह नहीं उठता क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट में उनका भी समावेश हो जाता है। अतः मैं माननीय सदस्यों से जिन्होंने कि एमेंडमेंटस प्रस्तुत किए हैं निवेदन करूंगा कि वे अपने एमेंडमेंटस वापिस ले लें।

एक माननीय सदस्य—पट्टेदारी राइटस के बारे में क्या हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वे राइटस इस एक्ट के पूर्व एप्रूव हो चुके हैं, इसलिए उनका रिपील होने का सवाल नहीं आता है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६) —राइटस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रिपील होने की बात कहाँ आती है ?

श्री जवानसिंह—श्री बृजसुन्दर जी के कौनसे अमेंडमेंट आप स्वीकार करते है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—श्री बृजसुन्दरजी द्वारा जो मूव किये गए हैं उनको।

श्री जवानसिंह—क्या हम यह धारणा लेकर चलें कि सरकार की ओर से जो एमेंडमेंट आवे उसी पर ही ध्यान दें ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप सब ही पर ध्यान देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—श्री तनसिंह के एमेंडमेंट इसमें आ ही गये हैं।

प्रश्न यह है......

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इस पर जवाब देना चाहता हूँ। Replies have not yet been given.

जो विदड्रॉ चाहेंगे वे तो विदड्र कर लेंगे और जो प्रेस करना चाहेंगे वे प्रेस करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—इसीलिए मैंने श्री तनसिंह के एमेंडमेन्टस कॉल किए।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, एमेंडमेंटस ५७-५८ मैं प्रेस नहीं करना चाहता। मैं इसके लिए विथड्रा करने की अनुमति प्राप्त करना चाहूँगा।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एमेंडमेंट ५६ या तो मैं समझ नहीं पाया हूँ या मन्त्री महोदय समझा नहीं पाये हैं।

जनरल क्लॉजेज़ एक्ट में जिक्र इस बात का है कि कोई ऑर्डर पास हो चुका हो या कोई राइट माना जा चुका हो तो जनरल क्लॉजेज़ एक्ट तब एप्लाई करेगा "after a right has accrued"

अब आप प्रोस्पेक्टिव प्रोवीजन रखते है कि १२ साल लगातार काश्त करने के बाद एक आदमी पुश्त दर पुश्त का हक प्राप्त कर लेगा।

The right shall accruee on the expiry of the twelth year.

उसका पहला राइट लेटेन्ट फोर्म (latant form) में एप्रूव हो रहा है। उसको १०-११ साल बीत चुके है, या ११ साल और ७ महीने बीत चुके हैं और केवल चार-पाँच महीने ही बाकी हैं और यदि नया एक्ट फोर्स में आयगा, under the old Act any right might have accrued, तो जनरल क्लॉजेज़ एक्ट लागू नहीं हो सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि जो प्रास्क्रेप्टिव पीरियड के पूरे होने की वक्त आ गई और उसका करेसपान्डिंग पीरियड इसमें रखते हैं तो कन्टीन्युएन्स में गिना जाय। जब वह है तो इसका मतलब यह होगा कि लेटेन्ट फोर्म में राइट आ जाया करें; that they will not get, यह महत्व की चीज है, माननीय उपाध्यक्ष। यदि इसको नहीं रखेंगे तो छः छः महीने और साल की वजह से वह टूट जावेगा। सब क्लॉज (२) हटाया जा रहा है और १ (१) रखा जा रहा है। इस संशोधन को ऊपर ही जोड़ दिया जाय।

Latent right—that has not been pooteoted. The provision of General Clauses Act is not sufficient. This provision must be incorporated.

इसलिए मैं चाहूँगा कि माननीय मन्त्रीजी फिर से इस पर विचार करेंगे। सदन की सम्मति के लिए इसको प्रस्तुत करता हूँ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष,......

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of Order, Sir, are you reopening the ditcussion on this question ?

श्री उपाध्यक्ष—Reopening of the discussion will not be allowed.

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं तो मेरे जोधपुर से आये हुए मित्र ने जो आपत्ति की है उसको साफ करना चाहता था। वैसे मैं बहस में नहीं पड़ना चाहता; for the sake of information आपसे अर्ज करना चाहता हूँ।

Page No.77

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी यह बात कही गई है कि राइट एप्रूव हो जाने के बाद उन लोगों को विशेष नुकसान होगा जिनके कि राइटस के प्राप्त करने में थोड़ा समय रह गया है। अगर केवल वही चीज है तो मैं समझता हूँ कि राइटस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पेटेन्ट राइटस की बात कही गई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—पेटेन्ट राइटस नहीं लेटेन्ट फोर्म।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—लेटेन्ट जैसी कोई बात नहीं हो रही है।

एक माननीय सदस्य—क्लॉज़ १४ साफ है।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—माननीय उपाध्यक्ष, महोदय मैंने अपने दो संशोधन प्रस्तुत किये थे। पहला संशोधन था कि इसमें 'हिदायत' और 'रोबकार' ये दोनों शब्द और जोड़ दिये जांय। माननीय उपाध्यक्ष, माननीय मन्त्रीजी ने जो जवाब दिया वह 'ओर्डर' शब्द की आड़ में यह दिया कि यह तीनों चीजों की पूर्ति करता है, किन्तु यदि जयपुर टिनेन्सी एक्ट के सेक्शन २ को यदि उठा कर देखे तो उसमें मालूम होगा कि 'रोबकार' और 'हिदायत' ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं। माननीय उपाध्यक्ष, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक लाइन उसकी पढ़ कर सुना दूँ।

"From the date of the coming into operation of this Act all Rules, Regulatios, Notifications-Hidayat Robkar" तो जयपुर स्टेट में 'हिदायत' और 'रोबकार, इन दोनों शब्दों के अलग-अलग माने हैं, और आगे चल कर इसमें यह लगा दिया गया है कि किसी किसी एरिया के अलावा यह एक्ट सब जगह लागू होगा। किसी-किसी एरिया का मतलब ही जागीरी एरिया से है; जिसके लिए Jaipur State Grants Tenure Act, 1947, बनाया और रिपीलिंग एक्टस उसमें बताये है

"All Rules, Regulations, Orders, Notifications, Hidayats Robkar, etc." इसका मतलब यह हुआ कि 'हिदायत' 'आर्डर' और रोबकार" अलग-अलग हैं, और केवल 'आर्डर' शब्द से ये सब कवर अप नहीं होते हैं। जयपुर स्टेट कौंसिल द्वारा अगर हिदायतें इश्यू हुई हैं तो उनको 'हिदायते" माना गया है, यदि ओर्डर इश्यू हुआ है तो उसको आर्डर माना गया है, और यदि रोबकार इश्यू हुआ है तो उसको रोबकार माना गया है और इसी प्रकार से तीनों 'हिदायत' 'आर्डर' और 'रोबकार', के लिए अलग-अलग नियम थे। यहां इन तीनों को एक ही 'ऑर्डर' कवर अप कर दिया गया है। जयपुर स्टेट टिनेन्सी कानून के अनुसार ये तीनों एक ऑर्डर शब्द से कवर अप नहीं हो सकते। अतः मैं यह निवेदन करूंगा कि 'हिदायत' और 'रोबकार' इन दोनों को भी इसमें जोड़ दिया जाय।

दूसरा संशोधन है पट्टेदारी के बारे में। माननीय मन्त्रीजी ने फरमाया कि इस एक्ट के लागू होने के बाद उनके अधिकार इस तरह से रह सकते हैं। यह रिपीलिंग की चीज़ है। इसमें

[श्री भेरूंसिंह]

जयपुर टिनेन्सी एक्ट रिपील होगा, जयपुर स्टेट ग्रान्ट्स लेन्ड टिन्योर एक्ट रिपील होगा और उसके बाद पट्टेदारों को कैसे सेफगार्ड करेंगे, इसका इसमें जिक्र नहीं है। जागिरदारों के राइटस माने हैं। १० एकड़ से और १० एकड़ से अधिक जमीन को वे पट्टेदार को दे सकते हैं; जिस तरह से चाहे जिस व्यक्ति को वे बेच सकते हैं। इस तरह से एक रूकावट डाली है पट्टेदार या, खातेदार जो टिनेन्ट्स बनेंगे वे इन अधिकारों का उपयोग नही कर सकते हैं।

ऐसी सूरत में मैं यह निवेदन करूंगा कि इस एक्ट के बनने के बाद जो पट्टेदारों को काश्तकारी रियायतें थीं उन रियायतों का वे उपभोग नहीं कर सकेंगे; जो उनके राइट्स हैं उन पर एनक्रोचमेंट होगा। इसलिये मैं फिर से माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे जो एमेंडमेंटस हैं एक तो पट्टेदारों के मुत्तल्लिक, ऑर्डर्स और हिदायत के मुत्तल्लिक इन पर गंभीरता से विचार करेंगे और इनको स्वीकार करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री श्यामलाल गोयल के खड़े होने पर) Do you want to withdraw ?

श्री श्यामलाल गोयल माननीय उपाध्यक्ष जी, दो शब्द कह कर मैं अपने एमेंडमेंटस को विथड्रा कर लूंगा।

एक एमेन्डमेन्ट था, अनपब्लिश्ड लॉज़ के मुत्तल्लिक। इसके बारे में श्री जसवानसिंह जी ने कहा और यह जाहिर करने की कोशिश की कि इन मेरे एमेन्डमेन्टस का मतलब यह है कि जो उन लॉज़ की तहत में जो एक्शन्स ले लिये गये हैं उनको एमेन्ड करना चाहता हूँ व कई स्टेटस ऐसी थीं जहां पर गजट में शाया नहीं होते थे वहां पर गजट में शाया होने से कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं यह अर्ज करूं मेरा एमेन्डमेन्ट है वह भविष्य के लिये है। मेरे एमेन्डमेन्ट की मन्शा कभी यह नहीं थी कि अब से पहले जो कुछ भी एक्शन्स ले लिये गये है वे एक्शन्स वॉइड हो जांय या अन-इफेक्च्युअल हो जायं। यह मैंने एमेन्डमेन्ट मूव किया, उससे पहले मेरे दिमाग में यह था कि कुछ स्टेटस ऐसी हो सकती हैं जहां पर गजट में शाया नहीं होते थे, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं; इसलिये मैंने एमेन्डमेन्ट में यह जोड़ दिया है,

"Or are hereafter published by the State Government befor this Act comes into force."

जो डिफीकल्टीज़ श्री जसवानसिंह जी ने रखीं उसका इसमें प्रोवीज़न है। मेरी कभी उनके कहने के माफिक मन्शा नहीं थी। इतना कहने के बाद मेरे एमेन्डमेन्टस जितने भी मैंने इस क्लॉज़ में पेश किये उनको वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—श्री श्याम लाल गोयल ने जितने एमेन्डमेन्ट रखे हैं इस क्लाज़ में उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाय ? क्या सदन की यह अनुमति है ?

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री श्याम लाल गोयल—मैं क्लॉज २ के एमेन्डमेन्टस वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—जो संशोधन क्लॉज २ में श्री बृजसुन्दर द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और जो माननीय मंत्री ने स्वीकार कर लिये हैं क्या वे स्वीकार किये जांय?

(स्वीकृत)

श्री बृजसुन्दर शर्मा के सब संशोधन स्वीकृत हुए।

(विराम)

श्री एच. के. व्यास अपना प्रथम संशोधन वापिस लेना नहीं चाहते, क्या वह सदन को स्वीकार है?

(अस्वीकृत)

श्री एच. के. व्यास का प्रथम संशोधन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री एच. के. व्यास अपने संशोधन नं ५७ व ५८ को वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की यह अनुमति है कि इनको वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

(स्वीकृत)

वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हालाँकि हाउस मुझे अपने संशोधन वापिस लेने का परमिशन नहीं देता फिर भी मैं अपने संशोधन ५७ व ५८ को वापिस लेता हूँ।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंहजी का जो संशोधन अभी आया है क्या वह सदन को स्वीकार है?

(अस्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २, एज़ एमेंडेड (संशोधित रूप में), स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

Clause 2, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

चूंकि समय हो चुका है इसलिए आज की बैठक समाप्त की जाती है। कल ८ बजे फिर सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होगी। नेक्स्ट डे (next day) की लिस्ट ऑफ बिज़नेस माननीय सदस्य नोटिस ऑफिस से ले लें।

(सदन की बैठक ११ बजकर ५७ मिनिट मध्यान्हपूर्व पर बुधवार, दिनाँक ४ अगस्त, १९५४ के ८ बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—३ अगस्त, १९५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १२६५ का उत्तर देखिये)

क्रमसंख्या	नाम अध्यापकः	नाम स्कूलः		कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तारीख	स्वीकृत या अस्वीकृत
१.	श्री इन्तजाम अली	मि० स्कूल किशनगढ़		८/६/५३	स्वीकृत
२.	श्री चन्द्रशेखर शर्मा	,,	मदनगंज	२८/८/५३	,,
३.	श्री रामेश्वरलाल	,,	रूपनगर	१/८/५३	,,
४.	श्री प्रह्लादलाल	,,	मदनगंज	२८/८/५३	,,
५.	श्री हुसेनबक्स	प्रा०	अलमू	१८/६/५३	,,
६.	श्री लक्ष्मीनारायण	मि० स्कूल रूपनगढ़		१/८/५३	,,
७.	श्री राधाकिशन	,,	,,	१/८/५३	,,
८.	श्री हरीप्रसाद	,,	सरवाड़	१५/७/५३	,,
९.	श्री गोपीलाल	,,	मदनगंज	२१/७/५३	,,
१०.	श्री मूलचंद	प्रा०	फतहगढ़	...	,,
११.	श्री लक्ष्मीनारायण	,,	रलावता	२८/७/५३	,,
१२.	श्री श्रीकृष्ण	मि०	मदनगंज	२०/८/५३	,,
१३.	श्री मूलचन्द	प्रा०	साँपला	१०/६/५३	,,
१४.	श्री रामस्वरूप	मि०	अराई	११/७/५३	,,
१५.	श्री जमनालाल	,,	,,	३१/७/५३	,,
१६.	श्री गोपीलाल	प्रा०	कटसूरा	६/१२/५३	,,
१७.	श्री मदनलाल शर्मा	मि०	किशनगढ़	११/६/५३	अस्वीकृत
१८.	श्री कल्यानसिंह	,,	रूपनगढ़	१/८/५३	,,
१९.	श्री कमलसिंह	,,	किशनगढ़	१३/७/५३	,,
२०.	श्री रामनिवास	,,	मदनगंज	१६/७/५३	,,
२१.	श्री राजमल पायक	,,	सरवाड़	७/६/५३	,,
२२.	श्री महावीर प्रसाद	,,	करकेड़ी	१६/८/५३	,,

क्रमसंख्या	नाम अध्यापकः	नाम स्कूलः		कार्यालय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने की तारीख	स्वीकृत या अस्वीकृत
२३.	श्री पीरबक्श	„	फरकेड़ी	१६/८/५३	„
२४.	श्री श्रीकिशन	„	रूपनगढ़	१३/७/५३	„
२५.	श्री देवकीनन्दन	„	„	१३/७/५३	„
२६.	श्री चुनीलाल	„	„	१३/७/५३	„
२७.	श्री मिलापचन्द	„	„	२०/७/५१	„
२८.	श्री रामरिख	„	अराई	२१/७/५३	„

Page No.83

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १२६८ का उत्तर देखिये)

क्रमसंख्या	नाम	योग्यता	ता० नियुक्ति	लैंग्थ ऑफ सर्विस जुलाई ५३ तक
१.	श्री कामेश्वर दयाल ऑफीशिएटिंग हैड मास्टर हाई स्कूल छाबर	एम.ए.बी.एस.सी.	६–७–४१	१२ साल
२.	श्री पुखराज, हैडमास्टर, हाई स्कूल रायपुर	एम.ए.	२८–७–३३	१० साल
३.	श्री तुलसीदास हैडमास्टर हाई स्कूल जैसलमेर	एम.ए.	१४–७–२८	२५ साल
४.	श्री मोहनलाल हैडमास्टर हाई स्कूल बनेड़ा	एम.एससी.बी.टी.	८–७–४१	१२ साल
५.	श्री नन्द किशोर भट, हैडमास्टर हाई स्कूल रिखबदेव	एम.ए.बी.टी.	८–७–३८	१५ साल
६.	श्री गिर्राजप्रसाद, हैडमास्टर हाई स्कूल बाड़ी(धौलपुर)	एम.ए.बी.टी.	२२–१२–२८	२५ साल
७.	श्री रामकिशन दास, हैडमास्टर हाई स्कूल वासकृपाल नगर	एम.ए.	१०–१०–३३	२० साल
८.	श्री देवीराम गुप्ता, हैडमास्टर हाई स्कूल माडलगढ़	एम.ए.बी.एस.सी. एल.टी.	१–८–४४	६ साल
६.	श्री श्यामलाल, हैडमास्टर हाई स्कूल सागवाड़ा	बी.एस.सी.बी.टी.	११–१०–३४	२१ साल
१०.	श्री दीनानाथ, हैडमास्टर, हाई स्कूल खानपुर	बी.ए.बी.टी.	१–७–२७	२६ साल
११.	श्री मनोहरलाल, हैडमास्टर, हाई स्कूल शिवगंज	एम.ए.	७–६–२६	२४ साल
१२.	श्री कानसिंह, हैडमास्टर हाई स्कूल लाडनू	एम.ए.	१५–७–३६	१७ साल

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १२७० का उत्तर देखिये)

नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तावित ऋण की तालिका

क्रम संख्या	नगरपालिका	तादाद
१.	मेडता	४००००
२.	भद्रा	१०२५००
३.	गंगानगर	११६००००
४.	करनपुर	३७५००
५.	अलवर	१००००००
६.	सीकर	५०००००
७.	भरतपुर	१६०००००
८.	नाथद्वारा	२,५००००
९.	खेरली	२००००
१०.	धोलपुर	२०००००
११.	टोंक	१४२६०००
१२.	भीलवाड़ा	५०००००
१३.	सवाई माधोपुर	६००००
१४.	किशनगढ़	१००००००
१५.	बाड़मेर	७३४०००
१६.	बालोतरा	१५१०००

तालिका ऋण जो जल योजना के लिये नगरपालिकाओं को मंजूर किया गया।

नगरपालिका	तादाद	काम	साल
१. नगरपालिका मेड़ता.	४००० ।	जल वितरण योजना के लिये	५१.५२.
१. ,, भद्रा	१,०२,५०० ।	जल का कारखाना बनाने के लिये	५१.५२.
१. ,, जोधपुर	१६५०० ।	सूर सागर से पानी खेंचने की मशीन लगाने के लिये	५२.५३.
४. ,, अलवर	१,००,००० ।	जल योजना	५३.५४.
५. ,, उदयपुर	३३,००,००० ।	जल योजना	५३.५४.
६. ,, गंगानगर	११,६०,००० ।	जल योजना	५४.५५.

Page No.85

परिशिष्ट ३ ए

(वे तारांकित प्रश्नोत्तर जो प्रश्नकर्त्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशित कराने की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है)

प्रश्न

११६५. (१६३ / ई. एम.) श्री हंसराज जटिया, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर ५२—क्या शिक्षा मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) धौलपुर में हाई स्कूल कौन से सन् में खुला ?

(ख) किशनगढ़ में हाई स्कूल कौन से सन् में खुला ?

(ग) दौसा में हाई स्कूल कौन से सन् में खुला ?

(घ) दौसा व किशनगढ़ में इंटरमीडियेट कॉलेज किस सन् में खोले गये और उस समय वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या क्या थी ?

(ङ) इस समय धौलपुर हाई स्कूल में कितने विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और दौसा व किशनगढ़ में इंटर कॉलिज बनाते समय धौलपुर हाई स्कूल में कितने विद्यार्थी थे ? यदि दौसा व किशनगढ़ हाई स्कूल के बराबर ही धौलपुर हाई स्कूल में विद्यार्थी थे तो क्यों कर धौलपुर में इंटरमीडियेट कॉलीज अब तक नहीं खोला गया ?

(च) धौलपुर स्टेट के समय का ५०,००० रुपया धौलपुर के इंटर भवन के निर्माण हेतु हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक में जमा किया गया था, उन रुपयों का क्या हुआ ?

(छ) क्या राजस्थान सरकार धौलपुर में शीघ्र ही इंटरमीडियेट कॉलिज खोलने की कृपा करेगी ? यदि उत्तर हां में है, तो कब तक ?

उत्तर

(क) धौलपुर में हाई स्कूल सन् १६१२ में खोला गया था ।

(ख) किशनगढ़ में हाई स्कूल १६२५ में खोला गया था ।

(ग) दौसा में हाई स्कूल सन् १६४३ में खोला गया था ।

(घ) किशनगढ़ व दौसा में इन्टरमीडियट कॉलेज सन् १६५१ में खोले गये थे। कॉलेज कक्षा खोलने से पहले इन हाई स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थीः

१. किशनगढ़ ४२१
२. दौसा ३६०

(ङ) इस समय धौलपुर हाई स्कूल में ३६५ विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और दौसा व किशनगढ़ में इन्टर कॉलेज बनाते समय धौलपुर हाई स्कूल में ४६६ विद्यार्थी थे जो कि इन्टर कॉलेज खोलने के लिये पर्याप्त हैं। धौलपुर में अभी तक इन्टरमीडियट कॉलेज भवन की असुविधा के कारण नहीं खोला गया है।

(च) शिक्षा विभाग को इस प्रकार का कोई रुपया अभी तक नहीं मिला है। इस रुपये के बाबत प्रस्तुत प्रश्न से सूचना पाकर आवश्यक पूछताछ की जा रही है।

(छ) धौलपुर में इन्टरमिडियेट कालेज खोलने के प्रश्न पर आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जावेगा।

परिशिष्ट ४

(श्री मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव पर श्री जसवन्तसिंह के संशोधन पर विभाजन)

'हाँ' पक्ष—२१

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
१	१	श्री अवनीकुमार मुकर्जी	१२	६६	कुं श्री जसवंतसिंह
२	८	श्रीमती यशोदा देवी	१३	६७	श्री जवानसिंह सोलंकी
३	१६	श्री भेरूसिंह (दाँता रामगढ़)	१४	६३	,, मंगलसिंह कछवाहा (जोधपुर त. उत्तर)
४	२०	श्री भोपालसिंह	१५	१०८	,, मोहब्बतसिंह
५	१०	श्री छीतरलाल शर्मा	१६	११४	,, नाथूसिंह
६	४७	श्री गोपीलाल यादव	१७	१३६	,, संतोषसिंह कछवाहा
७	५०	श्री हनवंतसिंह	१८	१३७	राव राजा श्री सरदारसिंह
८	५४	,, हरीदत्त	१९	१३९	रावत श्री शम्भूसिंह
९	६१	,, हिम्मतसिंह (अटरू)	२०	१४८	श्री तनसिंह
१०	६२	,, ईश्वरीसिंह	२१	१६०	,, हरिकृष्ण व्यास
११	६४	,, जगतसिंह झाला			

'ना' पक्ष—७४

१	५	श्री बद्रीलाल	६	१४	ठा. श्री भानुप्रतापसिंह
२	६	,, भगवानसिंह तरंगी	७	१७	ठा. श्री भीमसिंह
३	१०	के. श्री कुम्भारसिंह	८	२१	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी
४	११	मेवर ठा. श्री भैरूसिंह (सोजत-देसुरी)	९	२७	,, डूंगा
५	१३	श्री भैरूसिंह (राजसमन्द-रेलमगरा)	१०	३१	,, चुन्नीलाल बिरला

Page No.88

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
११	३३	,, दामोदरलाल व्यास	३१	७५	महाराजा श्री केसरीसिंह (पाटन)
१२	३४	,, दीनबन्धु परमार	३२	७७	श्री खेतसिंह
१३	३५	,, देवीसिंह	३३	७९	श्री मोहम्मद अब्दुलहादी
१४	३७	,, धर्मपाल पंवार	३४	८४	,, लालूराम
१५	३८	,, धूलजी भाई भवसार	३५	८५	,, लक्ष्मण हीरात
१६	४५	,, घीसीसिंह कटेला	३६	८७	,, चाँदमल मेहता
१७	४६	,, जयसिंह रावत	३७	९२	,, महादेवप्रसाद बंका
१८	४८	,, गुलाबचन्द कासलीवाल	३८	९४	डा० श्री मंगलसिंह (बारी)
१९	५२	,, हंसराज जटिया (बारी)	३९	९५	श्री मन्ना भील
२०	५३	,, हरिदेव जोशी	४०	९६	,, मनफूलसिंह
२१	५५	,, हरिराम निनामा	४१	९७	रावत श्री मानसिंह (महार)
२२	५६	,, हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री	४२	१०४	श्री मोटाराम चोधरी
२३	५८	सरदार श्री हरलालसिंह	४३	१०७	श्री मोतीराम
२४	५९	श्री हजारीलाल शर्मा	४४	१०९	,, नारायण चतुर्वेदी
२५	६२	,, द्वारकादास पुरोहित	४५	११०	,, नारायणलाल
२६	६५	,, नथचन्द्र मोहिल	४६	११६	,, प्रभुदयाल
२७	६८	,, नरेन्द्रसिंह	४७	११८	,, ब्रजसुन्दर शर्मा
२८	६९	,, कानसिंह	४८	१२३	,, रामदयाल उपाध्याय
२९	७१	,, कपिलदेव अग्रवाल	४९	१२६	,, रामकिशोर व्यास
३०	७३	,, केसरीसिंह (सोजत मुख्य)	५०	१२८	,, रामरतन टिक्कीवाल

Page No.89

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
५१	१३०	,, रोशनलाल शर्मा	६३	१४७	,, सुगनचन्द जैन
५२	१३२	कैप्टिन श्री सज्जनसिंह	६४	१४६	,, तेजमल बारना
५३	१३३	श्री सम्पतराम	६५	१५२	,, तेजपाल
५४	१३५	,, अंगदराम	६६	१५४	,, त्रिवेणीश्याम शर्मा
५५	१३८	शाह अलीमुद्दीन अहमद	६७	१५५	,, उदयलाल बरदिया
५६	१४०	महाराज श्री शिवदानसिंह	६८	१८	,, भोगीलाल पंड्या
५७	१४१	श्री भीमानसिंह	६९	१९	,, भोलानाथ
५८	१४२	,, श्रीदास गोयल	७०	२५	,, जयनारायण व्यास
५९	१४३	,, श्रीगोपाल भार्गव	७१	१०२	,, मोहनलाल सुखाड़िया
६०	१४४	,, श्यामलाल गोयल	७२	११२	,, नृसिंह कछवाहा
६१	१४५	,, सोहनलाल भटनागर	७३	२४	,, चन्दनमल बैद
६२	१४६	,, सोमा बालू भील	७४	१५३	,, टीकाराम पालीवाल

परिशिष्ट ५

(श्री मुख्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रक्रिया की नियमावली के संशोधन पर विभाजन)

'हाँ' पक्ष—७८

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
१	५	श्री बद्रीलाल	१८	४८	श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
२	६	,, भगवानसिंह सरंगी	१९	५२	,, हंसराज जटिया (खरी)
३	१०	के० श्री जुझारसिंह	२०	५३	,, हरिदेव जोशी
४	११	मेजर ठा० श्री भैंरूसिंह (सोजत-देसुरी)	२१	५५	,, हरीराम निनामा
५	१३	श्री भैंरूसिंह (राजसमन्द-रेलमगरा)	२२	५६	,, हरीशंकर सिद्धान्त शास्त्री
६	१४	ठा० श्री भानुप्रतापसिंह	२३	५८	सरदार श्री हरलालसिंह
७	१७	ठा० श्री भीमसिंह	२४	५९	श्री हजारीलाल शर्मा
८	२१	श्री विश्वम्भरनाथ जोशी	२५	६२	,, द्वारकादास पुरोहित
९	२७	,, छुंगा	२६	६५	,, जयचन्द्र मोहिल
१०	३१	,, चुन्नीलाल बिरला	२७	६८	,, जयेन्द्रसिंह
११	३३	,, दामोदरलाल व्यास	२८	६९	,, कानसिंह
१२	३४	,, दीनबन्धु परमार	२९	७०	,, कँवरलाल सेलिया
१३	३५	,, देवीसिंह	३०	७१	,, कपिलदेव अग्रवाल
१४	३७	,, धर्मपाल पंवार	३१	७३	,, केसरीसिंह (सोजत मुख्य)
१५	३८	,, धूलजीभाई भवसार	३२	७५	महाराजा श्री केसरीसिंह (पाटन)
१६	४५	,, घीसीसिंह कटेला	३३	७७	श्री खेतसिंह
१७	४६	,, जयसिंह रावत	३४	७८	,, किशनलाल शाह

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
३५	७९	श्री मोहम्मद अब्दुलहादी	५५	१३२	कैप्टन श्री सज्जनसिंह
३६	८४	,, लालूराम	५६	१३३	श्री सम्पतराम
३७	८५	,, लक्ष्मण हीरात	५७	१३५	,, अंगदराम
३८	८७	,, चाँदमल मेहता	५८	१३८	शाह अलीमुद्दीन अहमद
३९	९२	,, महादेव बंका	५९	१४०	महाराज श्री शिवदानसिंह
४०	९४	डा० श्री मंगलसिंह (बारी)	६०	१४१	श्री श्रीभानसिंह
४१	९५	श्री मन्ना भील	६१	१४२	,, श्रीदास गोयल
४२	९६	,, मनफूलसिंह	६२	१४३	,, श्रीगोपाल भार्गव
४३	९७	रावत श्री मानसिंह (महार)	६३	१४४	श्री श्यामलाल गोयल
४४	१०४	श्री मोटाराम चौधरी	६४	१४५	श्री सोहनलाल भटनागर
४५	१०७	,, मोतीराम	६५	१४६	श्री सोमा वालू भील
४६	१०९	,, नारायण चतुर्वेदी	६६	१४७	श्री सुगनचन्द जैन
४७	११०	,, नारायणलाल	६७	१४९	श्री तेजमल बापना
४८	११६	,, प्रभुदयाल	६८	१५२	श्री तेजपाल
४९	११८	,, ब्रजसुन्दर शर्मा	६९	१५४	श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा
५०	१२३	,, रामदयाल उपाध्याय	७०	१५५	श्री उदयलाल बरदिया
५१	१२७	,, रामलाल बन्सीवाल	७१	१८	,, भोगीलाल पण्ड्या
५२	१२८	,, रामरतन टिक्कीवाल	७२	१९	,, भोलानाथ
५३	१२९	,, रिद्धिचंद पालीवाल	७३	२४	,, चन्दनमल वैद
५४	१३०	,, रोशनलाल शर्मा	७४	२५	,, जयनारायण व्यास

क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम	क्रम संख्या	विभाजन संख्या	सदस्य का नाम
७५	१०२	श्री मोहनलाल सुखाड़िया	७७	१२५	श्री रामकरण जोशी
७६	११२	,, नृसिंह कछवाहा	७८	१५३	,, टीकाराम पालीवाल

'ना' पक्ष—२१

१	१	श्री अर्जुनकुमार मुकर्जी	१२	६७	श्री जवानसिंह सोलंकी
२	८	श्रीमती यशोदा देवी	१३	६३	,, मंगलसिंह कछवाहा (जोधपुर त. उत्तर)
३	१६	श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़)	१४	१००	श्री मोहब्बतसिंह
४	२०	,, भोपालसिंह	१५	१०८	,, मुक्तिलाल मोदी
५	३०	,, छीतरलाल शर्मा	१६	११४	,, नाथूसिंह
६	४७	,, गोपीलाल यादव	१७	१२६	,, संतोषसिंह कछवाहा
७	५०	,, हनवन्तसिंह	१८	१३७	राव राजा श्री सरदारसिंह
८	६१	,, हिम्मतसिंह (अटरू)	१९	१३१	रावत श्री शम्भूसिंह
९	६३	,, ईश्वरीसिंह	२०	१४८	श्री तनसिंह
१०	६४	,, जगतसिंह झाला	२१	१६०	श्री हरिकृष्ण व्यास
११	६६	कुं० श्री जसवन्तसिंह			